

Clause 3

3. "That at page 3,—

(i) after line 21, insert—

'(b) in section 108,—

(1) after the words 'who, within or without such limits,' the brackets and figure 0) shall be inserted;

'(ii) makes, produces, publishes or keeps, for sale imports, exports, conveys, sells, lets to hire, distributes, publicly exhibits or in any other manner puts into circulation any obscene matter such as is referred to in section 292 of the Indian Penal Code,';

(ii) line 22— for '(b)' substitute '(c)'."

4. "That at page 3, in the marginal heading to clause 3, for 'section 99A and Schedule II' substitute 'Section 99A, 108 and Schedule II of Act 5 of 1898'."

The question was put and the motion was adopted.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh) : May I just say one word ? The Bill which we have just now approved had been sponsored by our senior veteran Member, Diwan Chaman Lall. So we all want to pay a compliment to him. He is not a Member now. But he has done very hard work for this Bill. So, the House records its appreciation of the services of Diwan Chaman Lall.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We all share the sentiment.

THE PORT PROTECTION FORCE BILL, 1964

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Bhargava.

SHRI M. P. BHARGAVA (Uttar Pradesh) : Madam. I do not propose to take up the Bill today.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Then, Mrs. Shakuntala Paranjpye is not here. Mr. Bhupesh Gupta is not well. Mr. Sen Gupta.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1965— {Substitution of Article 120}

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA (West Bengal) : Madam Deputy Chairman, I move :

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

I have given the reasons . . .

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.]

From Madam Deputy Chairman to Mr. Vice-Chairman. I think there will be no further intervention. I stood up long ago and took up my seat. In the meantime the Chair also changed. (*Interruption*) Chair never changes sex.

Anyway, Mr. Vice-Chairman, the Statement of Objects and Reasons has been given along with the Bill itself. Please give me the indulgence to place before the House what it says :—

"Article 120 of the Constitution, as it stands at present, provides that Hindi or English can be used for transaction of business in Parliament, provided that a Member who cannot adequately express himself in Hindi or in English may be permitted by the Presiding Officer to address the House in his mother tongue. As the regional languages of India have been made official languages in the respective States, and as the Parliament comprises of representatives from all the States in India, it is proper that provision should be made for the use of all the languages specified in the Eighth Schedule to the Constitution, except Sanskrit which is not a spoken language, for transaction of business in Parliament. This is necessary to ensure equality of status to all the languages mentioned in the Eighth Schedule, and to give a popular and democratic orientation to the work of Parliament."

Sir, the 15 languages which are found in the Eighth Schedule are Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Urdu and Sindhi. Sindhi was added by the Constitution (Twentyfirst Amendment) Act, 1967. Now, I am placing before this

House for consideration and passing of the 14 languages as the languages to be used in Parliament. What my amendment suggests is—

"2. For article 120 of the Constitution, the following article shall be substituted, namely :—

"120. Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English or in any of the other languages except Sanskrit, specified in the Eighth Schedule to the Constitution."

Mr. Vice-Chairman, the purpose of my amendment is this. In 1965, as we all know, there was a serious unrest particularly in the South against Hindi. Article 120 of the Constitution provides English or Hindi to be the language of Parliament and with permission, any other language can be used. But as you know in this Parliament, if anybody speaks in any other language, there is no arrangement for translation. If it is Hindi it can be translated into English; if it is in English, that can be translated into Hindi. For other languages, there is no sanction and that is more or less a concession given to a Member or Parliament. He has got to give a translation of it for record after he delivers the speech. Those who do not understand that language, what will they do? They do not normally understand what the speaker says. So, it can only be done when the amendment is passed. We all know how difficult it is to amend the Constitution unless the entire House co-operates and unless the Government co-operates. I am appealing to the saner sections of the House, irrespective of parties, to take the issue above regionalism or anybody's particular fad for any language and consider the problem of India as a whole.

SHRI M. RUTHNASWAMY (Tamil Nadu) : If you appeal to the saner sections of the House, will you get a majority ?

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA : The saner section has now doubtful conscience.

Now, my appeal to the House is this. We have a federal structure here, comprising a multi-lingual population. It is doubtful if English will at all go and that Hindi will be the only language. 6—34 R. S./69

Therefore Parliament has now become really the forum so far as the non-Hindi speaking areas' representatives are concerned. Unless they know English they cannot express themselves, and Hindi is not their mother tongue, it is not their regional tongue except in a portion of India. So, what is left is English. We have given the Indian people a Constitution. Indian people consist of a large number of illiterate people. They do not speak in any other language except their own and that also for the purpose of speaking and conversing, not even for writing. If their representatives come here, how do you expect them that they will speak in English ? A man from Tamil Nadu or Bengal does not know Hindi and he does not know English either. Can we force him to speak either in English or in Bengali ? He cannot. Then there is a provision in article 120 of the Constitution by virtue of which you can speak in your mother tongue, say, in my case, Bengali, I can speak in Bengali. But for whom ? Is it for nobody here to understand ? Do I speak for a purpose or without purpose ? I speak with some purpose. What is the purpose ? The purpose is to let the House know what I want to convey. As I have a right to understand others, I should have the right to make others understand what I want to convey. That is the democratic attitude. You are a democracy but you proceed in a manner that the people's representatives who come here will not have the free expression of their views.

Now, Mr. Vice-Chairman, I am reading out the Preamble to the Constitution to show how consistent we are in our attitude so long as we confine ourselves to English or Hindi as laid down in article 120. The Preamble says :—

"We, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation; ..."

Now, Mr. Vice-Chairman, keeping these principles before us can we say we are

[Shri Dwijendralal Sen Gupta]

giving equal opportunity to all here? Are we doing justice to all? No. I would, for the moment, confine myself to equality and justice so far as our business in Parliament is concerned.

Mr. Vice-Chairman, so far as article 351 is concerned, I am placing before this House for its proper appreciation the real problem. It says :—

"It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, srve and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages."

Mr. Vice-Chairman, will you kindly appreciate whether we are developing it or are we for Hindi at the cost of other languages ? That was never the intention of the framers of the article. What does it say :

"to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India ..."

without interfering or hindering the progress of any language. That was the intention. And how can we do that ? Let Hindi remain. Let English remain and let other languages also be promoted. If that is done Indian unity will develop. If that is not done, English will continue as the medium of expression in this House for many, many years. Those who are really in favour of developing the Hindi language, in favour of developing the Indian languages, they can do so only by agreeing to accept the amendment of the Constitution as suggested by me. Either we do it or English and Hindi will go on a parallel languages. The intention was to eliminate English "fifteen years from the commencement of this Constitution" as provided in article 120 Have we been able to do that ? After the commencement of the Constitution, 15 years have gone. Let us realise a fact as a fact. There was an attempt to do away with English and make Hindi as the only language. But we all know how this

House reacted to it, and when this House reacted to it we took a decision that unless the non-Hindi speaking States pass a resolution, this House or the Government of India will not do away with English; English and Hindi will continue.

Sir. I never feel proud of keeping English as the substitute for Hindi. Other Indian languages should be allowed. I shall be glad if English goes but certainly not that Hindi alone shall survive, Hindi alone shall be the language of expression. All the different languages given in the Eighth Schedule of the Constitution except Sanskrit, which is not a spoken language, have a place of pride in this Parliament. I have made it particularly clear that "subject to the provisions of article 348" which deals with the language to be used in the Supreme Court and the High Courts, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English or in any of the other languages except Sanskrit, specified in the Eighth Schedule to the Constitution. I am not disturbing the language to be used in the Supreme Court or the High Courts. I am specifying the limited purpose, for use in Parliament. When I introduced this Bill I was very, very sure that it will give support to all sections because in all the parties, in all the groups, including many individuals, it is quite likely that persons without any knowledge of English or Hindi from non-Hindi speaking areas will come into this or that House. That can be anticipated because there is no bar so far as their election is concerned. Now what for will they come here ? Will they come here for giving their written speeches, not to be understood by the other Members of the House ? If this amendment is accepted there will be tomorrow arrangement in this Parliament for simultaneous translation. When a man speaks in Tamil, there will be simultaneous translation in Hindi or English. Others will also understand it. If it is in Bengali it will be translated in Hindi or English and people will understand it. Presently we have two switches, one for Hindi and another for English. Then there will be a number of switches and one will be able to turn them to his convenience according to the language he knows. Unless we do that, Members are allowed to come by one door and Member's speeches are really shut out by the other door. It is undemocratic. If a Member comes here, he comes

here to understand what others say. An illiterate Member does not understand what an hon'ble Member speaks. He comes here just for enjoying the air-conditioned House or for earning Rs. 51 or Rs. 31 as the case may be. No. He is a parliamentarian. He comes to Parliament to contribute. Even if he is a layman from the academic point of view, he is a conscious man. He is the people's representative.

So he is elected and so he comes. That aspect must be understood. And when he comes, he comes to speak something which his constituency wants him to say, or sometimes he says what he believes to be true and as a matter of his conviction, for which he got the support of his electorate. Now that man is becoming practically a cipher. He neither understands what the other members say, nor what he says is understood by the other members. This is the simple proposition. This simple proposition has got to be understood. For understanding this, I think one point is more than enough and that is, in this country more than 30 per cent of the people are illiterate. More than 30 per cent of the people are illiterate in this country even after 22 years of independence. And these 30 per cent of the people are entitled to come here and do come here, and not only here, but in the State legislatures also. In the State legislatures the problem is different because they speak in their State language. Here, this is Council of States. Representatives of different States come in. Those representatives come here on the vote of the members of the Assembly. After he comes, he is expected to speak in the language of his State. This is what is expected. How can we refuse him that ? Let us be very clear about this. My good friend, Mr. Rajnarain, is here. He will agree with me that in spite of our independence for 22 years, Hindi has not been sufficiently propagated or advanced, as everybody in every part of this country knows. There is no doubt about it. It is a fact. Then, how can we expect that those who are illiterate in the sense that they do not know more than one language can understand the language of other States in this House ?

There are two articles of the Constitution which I would like to mention in this connection. One is article 344(1) which says:

"The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of ten years from such commencement, by order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and such other members representing the different languages specified in the Eighth Schedule as the President may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the Commission."

Now, there was a Commission and the Commission had occasion to go into the different aspects. But the position has not improved. The question of language remains where it was. If the position of language of this country remains as it was 20 years before, or if our progress is very slow, then why should we not accept that fact to be a reality and amend the Constitution to suit the conditions as they prevail now ? The other article is article 120 which says :

"Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English :

Provided that the Chairman of the Council of States or Speaker of the House of the People, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the House in his mother tongue."

This is a very limited concession and that limited concession, in my submission, has failed to do justice, to provide equal opportunity, to make the members of Parliament as effective as they should be, to make them serious, to make them worthy of Parliament.

I submit that my Bill may be accepted.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The House stands adjourned till 2-30 P.M.

The House then adjourned for lunch at fifty-seven minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी श्री सेनगुप्ता जी ने जो संविधान संशोधन हाउस के सामने रखा है, मैं उसका तहे दिल से समर्थन करता हूँ। समर्थन करने के साथ ही साथ हमारा इसके संबंध में एक अमेन्डमेंट भी है। हमारे संविधान के आठवें शिड्यूल में जिन राष्ट्रीय भाषाओं का जिक्र है उसमें संस्कृत भाषा भी है और वे अपने इस बिल के द्वारा उस भाषा को उसमें से हटाना चाहते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने यह कहा है कि "एक्सेप्ट संस्कृत", उसको वे वापस ले लें और संविधान के आठवें शिड्यूल में जितनी भाषाएँ उनको रहने दिया जाए।

श्री तारकेश्वर पांडे (उत्तर प्रदेश) : संस्कृत को आप क्यों छोड़ना चाहते हैं।

श्री शीलभद्र याजी : यही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने बिल द्वारा जो इसमें संशोधन करना चाहा है कि संस्कृत को इसमें से अलग कर दिया जाए उसकी मैं मुखालिफ्त करना चाहता हूँ। हमने जब संविधान में सभी भाषाओं को इज्जत दी है तो यह जरूरी है कि हम उन्हें स्वीकार करें। इसलिए मैं उनसे दख्खान्त करना चाहता हूँ कि "एक्सेप्ट संस्कृत" शब्द को वे हटा लें या उसको डिलीट कर दें।

मैं चाहता हूँ कि संस्कृत को भी उसी तरह से रखा जाए जिस तरह मैं और देश की भाषाएँ हैं क्योंकि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो कि न हिन्दी ही है और न अंग्रेजी ही है। मनुष्य जब से पैदा होता है तब से लेकर नामकरण के समय पर, कामकरण के समय पर, शादी के अवसर पर, भोज के समय पर मृत्यु के समय पर, और अंत्यष्टि के समय तक संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है और यही एक ऐसी भाषा है जिसको सारे देश के लोग इन अवसरों पर प्रयोग करते हैं। लोग इसे मृत भाषा कहते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक जिन्दा भाषा है। चाहे आप केरल चले जायें, तामिलनाडु में चले

जायें, मैसूर में चले जायें, जम्मू काश्मीर में चले जायें, आसाम में चले जायें, चाहे आप किसी भी राज्य में चले जायें, संस्कृत ही एक ऐसी कामन भाषा है, एक ऐसी लिफ् भाषा है, जो सब जगह प्रयोग में आती है और कोई दूसरी भाषा ऐसी नहीं है जो इसकी जगह ले सके। अंग्रेजी ऐसी भाषा नहीं है जो इसकी पोजीशन को ले सके। हिन्दी भी

श्री शीलभद्र याजी : संस्कृत भाषा को देश की करोड़ जनता समझती है। यह दूसरी बात है कि उसका प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं मगर वह एक जिन्दा भाषा है वह मृत भाषा नहीं है। इसलिए मेरा आप से यह निवेदन है कि आप इस को डिलीट कर दीजिये। जब आप और भाषाओं में बंगला, तामिल, तेलगू और दूसरी शिड्यूल भाषाओं में यहाँ पर भाषण करने की इजाजत दें तो संस्कृत को क्यों अलग करना चाहते हैं। आप यहाँ पर संस्कृत में भी बोलने की इजाजत दें क्योंकि वह भी पहले से भारत की भाषा में बोल सकता है।

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA : I have very great respect for Sanskrit. I have not omitted it from any sense of disrespect. But for the fact that it is the mother of all the languages, there is no State which speaks in Sanskrit. Therefore, according to me it is not a spoken language. But if the House so desires, I shall be prepared to accept the amendment.

रही है और शिड्यूल में उसका भी एक स्थान है। उसको भी उसी तरह की इज्जत मिलनी चाहिये जिस तरह से और भाषाओं को मिल रही है।

मैं एक कठिनाई बतलाना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि सरकार तथा सदस्य भी उस कठिनाई को स्वीकार करेंगे। अभी गत वर्ष जब हम लोग स्पीकर साहब के साथ और सेक्रेटरी साहब के साथ सोवियट रूस गये थे तो वहाँ दे। कि सुप्रीम सोवियट में 34 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है लेकिन वहाँ पर इतनी भाषाओं के अनुवाद की व्यवस्था नहीं हो सकी है। अभी वहाँ पर सारा काम हो रहा है और इसके लिये व्यवस्था की जा रही है। हम लोगों को पार्टी का हाऊस भी दिखाया गया जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सारे देश का शासन किया जाता है और वहाँ पर सभी भाषाओं के संबंध में अनुवाद की व्यवस्था हो गई है लेकिन सुप्रीम सोवियट में इस तरह की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। वहाँ पर सब भाषाओं में अनुवाद करने की तैयारियाँ हो रही हैं। वहाँ पर इसके लिए सब तरह की व्यवस्था की जा रही है और जब सब व्यवस्था पूरी हो जायेगी तब वहाँ पर सब भाषाओं में अनुवाद होने लगेगा।

अभी हमारे संविधान में 15 भाषाएँ हैं अगर इस सदन और उस सदन में इतनी भाषाओं में भाषण होने लगेंगे तो इससे बहुत कठिनाई पैदा हो जायेगी क्योंकि अभी तक इतनी भाषाओं के अनुवाद का प्रबन्ध नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से रूस में अभी तक इस कठिनाई को पार नहीं किया गया और वे इस कठिनाई को दूर करने की व्यवस्था कर रहे हैं, आशा है हमारी सरकार भी ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे हमारी 15 जो भाषाएँ शिड्यूल में दी हुई हैं उन्हें यहाँ पर प्रयोग किया जा सकेगा और सब भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था हो सकेगी। इसके लिए सरकार को अपने यहाँ के विशेषज्ञों को दूसरे देशों में जहाँ इस तरह से अनुवाद

की व्यवस्था है वहाँ भेजना पड़ेगा ताकि व वहाँ जाकर इस तरह की व्यवस्था को देखकर अपने देश में उसी तरह की व्यवस्था कर सकें। इस काम में कुछ देरी होगी और कठिनाई होगी लेकिन सरकार जानबूझकर यह देरी नहीं कर रही है क्योंकि इसकी व्यवस्था करने में कुछ मौलिक कठिनाइयाँ हैं।

अभी तो चेयर की इजाजत से कोई भी सदस्य अपनी भाषा में सदन में भाषण कर सकता है मगर इसके लिए उसको अपने भाषण का अनुवाद देना पड़ता है। संविधान के मुताबिक तो हिन्दी और अंग्रेजी में ही सदन में भाषण हो सकते हैं मगर यहाँ पर तमिल, बंगला, मलयालम, और दूसरी भाषाओं में भी भाषण चेयर से इजाजत लेकर होते हैं। अपने भाषा में भाषण देने पर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। लेकिन सभी भाषाओं, जितनी राष्ट्रीय भाषाएँ हैं, उन में बैठक स्पीच करने में कठिनाई आ जायेगी जब तक कि अनुवाद की अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं हो जाती है।

जैसा मैंने शुरू में कहा कि इस सदन का कोई भी सदस्य इस चीज की मुश्कालिफत नहीं करेगा, सिर्फ जो कठिनाई है वह मैंने बतला दी है। प्रान्तों की जितनी भाषाएँ हैं, संस्कृत से लेकर उर्दू तक, उन्हें हमने राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दे दिया है। अब यह हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि जो संविधान में संशोधन करने के लिए नं० १० का विधेयक लाये है उसका समर्थन करें और सरकार भी इस संबंध में आश्वासन दे कि इस संबंध में कोई रुकावट नहीं होगी। सरकार तो इस तरह का आश्वासन अब भी दे सकती है मगर इसकी व्यवस्था करने में अवश्य कठिनाई है जिसको हम सभी को महसूस करना चाहिये। संविधान ने जब हिन्दी को एक लिंक भाषा के रूप में मान लिया है तो आजादी के 22 वर्ष के बाद भी हम उसको अभी तक लिंक भाषा के रूप में नहीं बना सके। इतना होते हुए भी इस तरह का संशोधन लाना ही पड़ेगा और इसी लिए उनके प्रस्ताव की जो मंशा है उसको

(श्री शीलभद्र याजी)
सरकारको स्वीकार करना चाहिये। जो दिक्कत है, जो कठिनाई है, उसको प्रस्तावक महोदय को स्वीकार करनी चाहिये। केवल प्रस्ताव पास करने से सब भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था हो जायेगी ऐसी बात नहीं है क्योंकि सोवियट रूस में भी इतने वर्षों के बाद भी इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकी है। इसलिये यहाँ पर भी इसमें देरी और कठिनाई होगी।

लेकिन सरकार को उसके लिये प्रयास करना चाहिये, कोशिश करनी चाहिये और अपने एक्सपर्ट्स को भेजना चाहिये। इस लिये अपने अमेंडमेंट के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव): आप का अमेंडमेंट ओरल है या आपने लिख कर दिया है।

श्री शीलभद्र याजी : मैंने लिख कर दिया है।

लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वह समय के मुताबिक है या नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव): ठीक है, मैंने समझा था कि आपने अमेंडमेंट ओरली मूव किया है।

श्री शीलभद्र याजी : जी नहीं, मैंने लिख कर दिया है।

प्रस्तावक महोदय से भी मैंने बात की थी कि आप मेरे संशोधन को स्वीकार कर लीजिये। मैं उनसे फिर निवेदन करूँगा कि वे संस्कृत की इस तरह से उपेक्षा न करें। आपने बीच में इंटरप्ट कर के हम से कहा कि संस्कृत स्पोकन लैंग्वेज नहीं है। लेकिन उसके जवाब में मैंने कहा कि संस्कृत भाषा में दिन रात सारे हिन्दुस्तान में काम होता है। I 'Interruption') इस लिये यह जो संविधान का संशोधन नं० 10 श्री द्विजेन्द्रलाल सेनगुप्ता ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है इसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूँ। मैं सरकार से भी यह गुजारिश करता हूँ कि सरकार इस विधेयक को मान

ले। इस संबंध में जैसा कि मैंने कहा कि सरकार हम से ज्यादा कठिनाइयाँ बतायेगी क्योंकि मैं जानता हूँ कि सरकार के सामने अनेक कठिनाइयाँ आयेंगी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस को स्वीकार करने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। अभी भी इसकी व्यवस्था है कि यदि कोई माननीय सदस्य दरखास्त करें तो वे तेलगू, तमिल, बंगला या किसी अन्य भाषा में सदन में बोल सकते हैं। तो यह जो पहले से परमिशन लेने की बात है इसको हटा कर के जितनी भी लैंग्वेज हमारे शैड्यूल में हैं उन सब में बोलने का सदस्यों को अधिकार रहे।

इतना कहकर मैं फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इस को स्वीकार कर ले।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं अपने मित्र श्री सेनगुप्ता को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर एक ऐसा अवसर प्रदान किया है कि हम फिर ऊहापोह करें कि भारत सरकार की भाषा की नीति राष्ट्रहित विरोधी क्यों रही है।

श्री शीलभद्र याजी : यही तो आप गलत बोल रहे हैं। सब को तो मान लिया है।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आज मैं, पुनः कहना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार की भाषा की नीति आरंभ से राष्ट्रहित विरोधी रही है। भाषा की नीति जो कांग्रेस सरकार ने चलाई वही एक प्रधान कारण है कि स्वतंत्रता की देवी केवल दिल्ली में कैद रह गई। वह देहात में नहीं जा पाई, वह मोहल्ले और कसबे में नहीं जा पाई।

मैं अपने मित्र श्री सेनगुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि जब वे संवैधानिक संशोधन ही कर रहे हैं तो जहाँ वे 14 या 15 या जितनी राष्ट्र भाषाएँ हैं उन सब भाषाओं को मान्यता प्रदान करने की बात करते हैं, वहीं वे अंग्रेजी को भी हटाने की बात कर दें। जहाँ "हिन्दी और

इंग्लिश" है वहीं पर "हिन्दी तथापि इस राष्ट्र की अन्य आठवीं सूची में दी गई भाषाएं" यह पूरा वाक्य वे लिखें तो मैं समझूंगा कि एक बहुत बड़ी सेवा श्री सेनगुप्ता साहब आज राष्ट्र की कर देंगे।

मैं पहले ही कांग्रेस के एक प्रवक्ता का जवाब दे दूँ। संस्कृत के प्रति मेरे दिल में बड़ा सम्मान है। संस्कृत देश के विभिन्न अंगों में आज भी विराजमान है। मगर मैं पूछना चाहूंगा और अगर कोई जानकार हो तो हमें उत्तर दे कि क्या संस्कृत कभी भी जनभाषा हुई है। संस्कृत कभी भी जनभाषा नहीं हुई है।

श्री शीलभद्र याजी : राजभाषा हुई है।

श्री राजनारायण : संस्कृत देवभाषा, कुलीन-भाषा, कुलीन जनों की भाषा थी। हम अपने मित्र को बतायेंगे कि वे गौतम बुद्ध को न भूलें। गौतम बुद्ध संस्कृत के विद्वान थे। मगर चूंकि संस्कृत जनभाषा नहीं थी, आम भाषा नहीं थी, विद्वानों की भाषा थी, इस लिये उन्होंने जितने ग्रंथों की रचना की, सभी को पाली में लिखा। पाली उस युग में जनभाषा थी। बुद्ध यह समझते थे कि जनता की भाषा में जो पुस्तक लिखी जायगी उसको जनता पढ़ेगी और देवभाषा में जो पुस्तक लिखी जायगी उसको चन्द विद्वान लोग पढ़ेंगे और उसको पढ़कर वही लाभान्वित होना चाहेंगे। इस लिये संस्कृत हमारे राष्ट्र की भाषा है, मगर संस्कृत जनभाषा नहीं है। संस्कृत के प्रति आदर है, संस्कृत के प्रति सम्मान है, संस्कृत का साहित्य लालित्यपूर्ण है। यह कहा जाय कि वह सामान्य जनता की भाषा है तो मैं समझूंगा कि जो ऐसा कहें वे शायद वस्तुस्थिति से परिचित नहीं हैं।

एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जितनी राजनैतिक पार्टियाँ हैं उन्होंने भी अपने घोषणापत्र में भाषाओं के सम्बन्ध में चर्चा की है। यहाँ पर हमारे कोई जनसंघ के मित्र इस समय नहीं हैं। जनसंघ की एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी भाषा नीति में यह कहा है कि संस्कृत को वे

राजभाषा बनाएंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि सभी सरकारी कार्यक्रमों में संस्कृत का ही प्रयोग होगा।

श्री शीलभद्र याजी : श्री के० एन० काटजू जनसंघी नहीं थे, मगर वे भी यही कहते थे। और भी बहुत से हिन्दुस्तान के बड़े बड़े प्रकांड पंडित अभी भी यह कहते हैं कि संस्कृत ही राजभाषा हो सकती है। इस लिये यह केवल जनसंघ की ही दुहाई क्यों दे रहे हैं।

श्री राजनारायण : हमारे समाजवादी दर्शन के गुरु श्री संपूर्णानन्द जी बराबर मांग करते रह गये कि संस्कृत को राजभाषा बना दिया जाय। मैं खूब जानता हूँ। मैं काशी से आता हूँ। इनको मुझे यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हमारी जानकारी इनसे कम नहीं है। आप की आज्ञा से मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सदन में ऐसे कितने लोग हैं जो संस्कृत में अपना पूरा भाषण कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा कोई नहीं होगा।

अनेक माननीय सदस्य : है।

श्री राजनारायण : हो सकता है कि एक-आध ऐसे कोई हों। मगर फिर भी उनके भाषण के बाद ही मैं बताऊंगा कि वे संस्कृत जानते हैं या नहीं। केवल "है" कह देने से मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। संस्कृत में अपना कोई पूरा भाषण इस सदन में दे नहीं सकता।

श्री शीलभद्र याजी : राजनारायण जी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जब आप पैदा हुये, जब आप का यज्ञोपवीत हुआ, जब आप की शादी हुई, तो सारे संस्कार किस भाषा में हुए।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, सामान्य बुद्धि का भी आदमी यह समझ सकता है। जो जिस की मातृभाषा होती है उसी मातृभाषा में उसके सारे काम होते हैं।

श्री शीलभद्र याजी : यह गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री राजनारायण : यज्ञोपवीत के अवसर पर कोई पंडित आ कर के संस्कृत का कोई श्लोक पढ़ दे जिस को न हम समझें, न हमारे लोग समझें, तो यह कोई जनभाषा नहीं हुई। शादी के समय कोई पंडित आ कर के कुछ संस्कृत के श्लोकों का वाचन कर दे और उसने मान लिया जाय कि संस्कृत जनभाषा है, तो यह गलत होगा। संस्कृत जनभाषा नहीं है। हम स्वतः इसके सम्बन्ध में प्रतिवाद कर चुके हैं।

श्री तारकेश्वर पांडे : आप काशी निवासी हैं और हमारे संस्कारों से परिचित हैं। राहगीर नहीं, निश्चय ही कुछ योग्य पंडित नियुक्त हैं जो हमारे संस्कारों को कराते हैं और उसी तरह से आप के भी संस्कार हुये होंगे। अगर आप को पंडित का अभाव है तो मैं आप की सेवा में उपस्थित होने को तैयार हूँ।

श्री राजनारायण : तारकेश्वर पांडे जी ने कुछ बड़का का प्रयोग कर के इस समय पहली बार अपनी बात कही है।

ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं है।

श्री तारकेश्वर पांडे : यह मैंने नहीं कहा।

श्री राजनारायण : संस्कृत के जानने वाले कुछ विद्वान हैं। कुछ पंडित हैं, यह मैं भी मानता हूँ। आज भी काशी में मुहल्लों-मुहल्लों में रामः रामो रामाः की रटन्त होती है, आज भी गंगा घाट पर कुछ विद्यार्थी संस्कृत को पढ़ा करते हैं, मगर वह जन-भाषा नहीं है। फिर भी मैं सैनगुप्ता साहब से यह निवेदन करूँगा कि चूंकि हमारे देश में एक राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणापत्र में यह लिख चुका है वह संस्कृत को राजभाषा बनाएगा, इसलिए वे इस बात को मान लें कि वे जो अपना संवैधानिक संशोधन रख रहे हैं उसमें संस्कृत को अलग करने की बात न करें, उसमें संस्कृत को रखें। ऐसा करने से अनावश्यक ढंग पर उनके ऊपर भी कुछ लोग आक्षेप करेंगे और हमारे

लोगों के ऊपर आक्षेप करेंगे। इसलिए संस्कृत को इसमें रखें लेकिन यह समझ कर कि संस्कृत इस देश की जनभाषा नहीं हो सकती।

अब हम अपने मूल विषय पर आएंगे। मूल विषय है हमारा अंग्रेजी को हटाना। जब तक अंग्रेजी हटती नहीं तब तक क्या हमारे देश की जितनी भाषाएं हैं वे अपनी जगह ले सकती हैं? सैनगुप्ता साहब को इसका उत्तर बड़ना चाहिए। हमारा कहना है कि झगड़ा हिन्दी और बंगाली का नहीं है, झगड़ा हिन्दी और तमिल का नहीं है, झगड़ा हिन्दी और उड़िया का नहीं है, झगड़ा हिन्दी और तेलगू का नहीं है, झगड़ा हिन्दी और मलयालम का नहीं है, झगड़ा हिन्दी और मराठी का नहीं है, झगड़ा हिन्दी और सिन्धी का नहीं है, झगड़ा हिन्दी और उर्दू का नहीं है; झगड़ा है हिन्दी का अंग्रेजी से, मगर कुछ देशद्रोही, चन्द मुट्ठी भर लोग अंग्रेजी की बदौलत देश की आम जनता का शोषण करने के लिए उसकी छाती पर चढ़े रहने के लिए झगड़ा बता देते हैं हिन्दी और बंगाली का, हिन्दी और तमिल का, हिन्दी और उर्दू का। जो हिन्दी और उर्दू का झगड़ा खड़ा करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे अंग्रेजी के दलाल हैं, जो हिन्दी और बंगाली का झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं मैं उनको कहता हूँ कि वे अंग्रेजी के दलाल हैं, जो हिन्दी और तमिल का झगड़ा खड़ा करते हैं मैं उनको कहता हूँ कि आज वे अमेरिकन इंपीरियलिज्म के दास हैं—आज ब्रिटेन वाले तो खत्म हैं (Interruption) —आज अमेरिका अपने आर्थिक साम्राज्यवाद को भारत की आम जनता के ऊपर लादने के लिए अंग्रेजी बराबर कायम रहे इसके लिए कांग्रेस की सरकार को दबाए रखता है।

मैडम, मैं अपने मित्र श्री सैनगुप्ता साहब से निवेदन करूँगा कि वे 343 अनुच्छेद को फिर से पढ़ें। अभी तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लोगों से हटे नहीं हैं, धीरे धीरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हटते जा रहे हैं, जब तक राष्ट्रपिता महात्मा

गांधी की याद और प्रभाव कायम है तब तक 343 अनुच्छेद क्या कहता है उसको हम भूल नहीं सकते —

"The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script."

343 अनुच्छेद मुक्त कंठ से घोषित करता है कि राजभाषा हिन्दी होगी देवनागरी लिपि में, मगर जो सबसे बड़ी खराबी हुई वह यही हो गई कि 15 साल तक के लिए उसमें गुंजाइश निकाल दी गई कि 15 साल तक धीरे-धीरे श्रीमन्, यह 351 अनुच्छेद हमारे संविधान का बिल्कुल स्पष्ट है, यह बिल्कुल सफाई के साथ कहता है कि केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य होगा— "हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उस का विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी अस्मिता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्थानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्म-

"It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages."

सात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उस के शब्द-भंडार के लिये मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उस की समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा ।" मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूँ कि इस सदन में क्या कोई सम्मानित सदस्य ऐसा है जो कह सकता है कि 351 अनुच्छेद की जो वाध्यता और मान्यता थी उसके अनुसार यह सरकार चली ? उसके अनुसार यह सरकार नहीं चली और जब उसके अनुसार यह सरकार नहीं चली तो इस सरकार की जितनी भी भर्त्सना की जाय थोड़ी है ।

मैंडम, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक वाक्य को अवश्य ही पेश करूंगा । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि जब तक अंग्रेजी राजकाज की भाषा रहती है तब तक मैं भारत को मुकम्मिल आजाद नहीं मानूंगा । जो सरकार गांधी जी का अनुयायी अपने को कहती है क्या वह सरकार इस बात को उचित समझती है कि गांधी जी का नाम ले और उसी समय अंग्रेजी का इस्तेमाल राजकाज में अभी भी कायम रखे ।

श्री शीलभद्र याजी : यह गांधी जी ने कब कहा कि मैं मुकम्मिल आजाद नहीं मानूंगा जब तक अंग्रेजी चलती है । यह हमको बताइए ।

श्री राजनारायण : सब बता दूंगा । श्रीमन्, इसी तरह से गांधी के एक नहीं अनेक उद्धरण मैं यहां दे सकता हूँ । गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह में कामयाबी हासिल कर के आए तब बम्बई में लोगों ने, गुजरातियों और सिन्धियों ने उनका स्वागत किया था, गांधी जी उसमें गए, जिन्ना साहब भी विद्यमान थे, कुछ लोग अंग्रेजी में भाषण करने चले तो गांधी जी ने उन्हें रोक गांधी जी ने कहा कि मैं तो समझता था कि मैं हिन्दुस्तानियों के बीच में हूँ लेकिन यहां आने से पता चलता है कि मैं अंग्रेजों के बीच में हूँ । तब लोगों ने उनके महत्व को समझा । हमारे मित्र श्री शीलभद्र याजी इस बात को ध्यान से सुनें । लार्ड चेम्सफोर्ड ने जब रंगरूटों की भर्ती के सिलसिले में श्री तिलक को नहीं बुलाया, सिर्फ गांधी जी को

(श्री राजनारायण)

बुलाया दिल्ली में तमाम देश के बड़े बड़े फौजी अफसरान, बड़े बड़े देश के राजा महाराजा उस सभा में आये थे। गांधीजी भी आये। चूंकि तिलक को आमंत्रित नहीं किया गया था इस लिए गांधी जी इस पर रंजित थे। गांधीजी समझते थे कि तिलक को भी कुछ भावना है, उन के भी कुछ विचार हैं और इस लिए उनको भी चैम्सफोर्ड की तरफ से आमंत्रण जाना चाहिए क्योंकि वह रंगरूट लेने के विरोधी थे और गांधी जी उस के पक्षपाती थे। गांधी जी ने लार्ड चैम्सफोर्ड को लिखा कि मैं तभी इस सभा में सम्मिलित होऊंगा जब मुझे अपनी भाषा में बोलने का अधिकार होगा। लार्ड चैम्सफोर्ड को बात कुछ जंची, लेकिन उस ने कहा कि आप की भाषा यहां कौन समझेगा। यहां तो बड़े बड़े फौजी कमांडर, अफसर और देश के राजे महाराजे हैं जो हिन्दी नहीं जानते, हिन्दुस्तानी नहीं जानते? गांधी जी ने कहा कि अगर अपने देश में अपने देश के सवाल पर, अपने देश की भाषा में बोलने का हक हम को नहीं मिलेगा तो मैं उस का बहिष्कार करूंगा, उस में नहीं जाऊंगा। लार्ड चैम्सफोर्ड को झुकना पड़ा और उन को लिखना पड़ा कि आप आइए और आप अपनी भाषा में बोलिये। श्रीमन्, गांधी जी गये और अपनी भाषा में बोले। मैं पूछना चाहता हूं कि आज भारत माता की कौन सी जीभ है? भारत माता की जवान इस निकम्मी, नालायक कांग्रेस सरकार ने काट रखी है, बिल्कुल काट रखी है। आज भारत माता दोमुंही है, वह आज बोल नहीं सकती, क्योंकि उस की जवान कटी हुई है। अंग्रेजी को श्रीमन्, हमारे ऊपर लादा गया है। सारे राज्यों में जहां पर हम को कहा जाता है कि वहां के लोग अंग्रेजी को पसंद करते हैं मैं पूछना चाहता हूं कि उस राज्य की जनता का कौन सा हिस्सा है कि जो अंग्रेजी के पक्ष में है। आज भारतवर्ष में अगर कोई राज्य कहे कि वह अंग्रेजी के पक्ष में है तो मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। विक्टोरिया के जमाने

की अंग्रेजी आज हर भारत का पढ़ा लिखा आदमी जानता है, जो जिन्दा भाषा है इंग्लिस्तान की, अंग्रेजी, उस को वह नहीं जानता। दो सौ वर्ष पहले की भाषा, मरी हुई अंग्रेजी भाषा को हमारे मित्र लोग पढ़ कर, अंग्रेजी में बोल कर अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। यह लज्जा का विषय है, यह दुःख का विषय है, यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है, उसी को आप लोग अपने लिए सत्कार मानते हैं और अपने लिए यह गौरव की वस्तु समझते हैं। इस लिए मैं अपने मित्र, जिन की मैं बहुत ही इज्जत करता हूं, श्री सेन गुप्ता से करद्वय प्रार्थना करता हूं कि आप अपने संवैधानिक संशोधन में इस को ठीक तरीके से रखो। यहां से अंग्रेजी हटाओ और जितनी हमारे देश की भाषायें हैं, उन सब को साथ साथ चलाया जाय। हिन्दी चले, उर्दू चले, तमिल चले, तेलग चले, उड़िया चले, सिन्धी चले, सब चले।

एक बात मैं बहुत ही सफाई से कहना चाहूंगा। हमारे कुछ मित्र अनावश्यक ढंग पर हिन्दी को हिन्दू की भाषा मान रखे हैं और उर्दू को मुसलमान की भाषा मान रखे हैं। यह बहुत ही गलत है। यह बहुत ही बेबुनियाद है और जो लोग हिन्दी और उर्दू को ले कर हिन्दू और मुसलमानों की बीच में नफरत पैदा करने की बात करते हैं, मैं चाहता हूं कि उन की जितनी कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाय वह थोड़ी होगी। मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि कितने हमारे मुसलमान मित्र हैं जो हिन्दी में बहुत अच्छी कविता करते हैं। उदाहरण के लिए मैं पेश करूंगा नाम अब्दुल रहीम खानखाना का, उदाहरण के लिए मैं नाम पेश करूंगा मलिक मुहम्मद जायसी का, उदाहरण के लिए मैं नाम पेश करूंगा रसखान का। यह उदाहरण हैं। अगर हमारे मित्र श्री लोकनाथ मिश्र चाहें तो मैं उन को कुछ सुना सकता हूं।

जायसी की एक नायिका कहती है कि हे भीरे, हे काग, तुम हमारे पति देव से ज

कर के यह संदेश कह देना कि तुम्हारी यह धनी जल कर के मर गयी और उस से जो धुंवां पैदा हुआ उस से हम काले हो गये। कौवा काला क्यों हुआ, उस गृहणी, उस पत्नी और उस नायिका के जलने के धुंये से वह काला हो गया। यह मलिक मुहम्मद जायसी हैं। इसी तरह से रहीम को देखिये। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग श्री रहीम के जो नीति के दोहे हैं उन का अध्ययन करें। कौन सा हिन्दू कवि है जिस से रहीम पीछ जाते हैं। रहीम उन सब से आगे जाते हैं। उन के नीति शास्त्र के दोहों को पढ़ा जा सकता है।

रहीम दास जो कहते हैं कि चने की रोटी सूखी भले ही हो, लेकिन अगर कोई तबियत से प्रसन्न मन से खिलाए तो वह मैदे की अच्छी रोटी से कहीं अच्छी है, अगर वह मरे मन से खिलायी जाती है तो।

रहीम ने कहा कि उस राज्य की सराहन होनी चाहिए जो चंद्रमा की तरह शीतलता दे। जिस राज्य में जनता सुखी हो, प्रफुल्लित हो अपनी मुसीबतों पर काबू पा कर प्रसन्न रहे। उस सूर्य को लेकर क्या करना जो तमाम ताराओं को खो कर अकेला चमकता रहता है।

इस लिए मैं श्री शीलभद्र याजी जी से कहूँगा कि पार्टी सिस्टम का पूरा ख्याल करना, अकेले चमकने की कोशिश मत करना। श्रीमन्, हमें अफसोस है अंग्रेजी का प्रभाव, अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव हमारे कुछ मित्रों के दिमागों पर आज इतना गहरा पड़ा हुआ है कि वह रहीम के इन सारयुक्त दोहों को समझ सकने में असमर्थ हैं। अगर ऐसा न होता तो क्या यह भी कोई विवाद की बात है, क्या यह भी कोई नैतिकता है, क्या यह भी कोई मुस्पट, हूफ्ट-पुफ्ट संसदीय प्रथा है कि जिस दल के 70 संसद् सदस्य लिखित रूप में यह बयान दे दिये हों कि आज के पार्लियामेण्टरी दल के नेता, नेता सदन श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी के नेतृत्व में हमारा विश्वास नहीं है, वह भी आज इस्तीफा न दे।

श्री शीलभद्र याजी : आप बाजा बजाने वालों को रोकिये। यह विधेयक है इस पर

बोलिये। हमारी पार्टी में कुछ होता है, उस से आप की नानी क्यों मरती है ?

श्री राजनारायण : यह अंग्रेजी का प्रभाव है। यह बात आसानी से सदन में आ सकती थी। बुद्धिगामी, सरल बुद्धि और सभ्य लोग इस को बता सकते थे कि क्या यह हमारी नैतिकता है। आज दुनिया के सामने हम अपने कौन से चेहरे को पेश कर रहे हैं। हम जिस चेहरे को पेश कर रहे हैं उस को जरा देखा जाय। आज दुनिया में समाचार-पत्रों के द्वारा यह बात गयी है कि 70 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपने नेता में अविश्वास प्रकट किये हैं और लिख कर दिये हैं कि आप के नेतृत्व में हमें यकीन नहीं है (Interruption) मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह अंग्रेजी का दोष है।

"Over 70 Congress Members of Parliament met Mr. Nijalingappa tonight and demanded the immediate suspension of Mrs. Gandhi."

SHRI OM MEHTA (Jammu and Kashmir) : Sir, how is all this relevant ?

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : यह बिल से तो संबंधित नहीं है।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं अंग्रेजी का दोष दिखा रहा हूँ। अंग्रेजी का दोष इसलिये दिखा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कहा है :

"Members were in a defiant mood and made it clear to the Congress President that they no longer regarded Mrs. Gandhi as the leader of the Congress Parliamentary Party."

इस अंग्रेजी का क्या अर्थ है ! श्रीमन्, आप विद्वान हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस अंग्रेजी भाषा का क्या अर्थ है ! यह अंग्रेजी भाषा हमारे जीवन को चवाये जा रही है, हमारी बुद्धि को चवाये जा रही है, हमारे देश को खाये जा रही है। इसलिये मैं आपके द्वारा अपने मित्र श्री सेनगुप्ता से निवेदन करना चाहूँगा कि वह अंग्रेजी को हटाने वाली बात करें क्योंकि यह अंग्रेजी भाषा है जिससे कि श्री शीलभद्र याजी यह समझ सकने में असफल हो रहे हैं कि They no longer regarded Mrs.

(श्री राजनारायण)

Gandhi as the leader of the Congress Parliamentary Party.

SHRI OM MEHTA : How is it relevant?

श्री राजनारायण : अंग्रेजी सफाई के साथ लोगों को अर्थ समझने नहीं देती तो ऐसी अंग्रेजी को हम रखेंगे ! ऐसी अंग्रेजी को हम देश के राजकाज की भाषा बनायेंगे ।

श्रीमन्, मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि लार्ड मैकाले के वाक्य को पढ़ा जाय । लार्ड मैकाले के मकड़जाल में श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी आज फंसी हुई हैं । मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग लार्ड मैकाले के मकड़जाल से निकले । ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो उस समय बहस हुई उस बहस में लार्ड मैकाले ने कहा है, उसको देखा जाय, कि अगर अंग्रेजी राज को, अंग्रेजी सभ्यता को, अंग्रेजी संस्कृति को भारत में स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं तो अंग्रेजी भाषा रखो, बिना अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी साम्राज्यवाद चल नहीं सकता है । इसलिये अंग्रेजी भाषा यहाँ आई । अंग्रेजी राज खत्म हो गया मगर अंग्रेजी भाषा हमारी छाती पर चढ़ी हुई है । चन्द मुठ्ठी भर लोग जो सही मानो में अंग्रेजी नहीं जानते वह आम जनता की जिन्दगी का शोषण कर रहे हैं । हमारे यहाँ बहुत से लोग अपने को समाजवादी कहते हैं, बहुत से लोग अपने को साम्यवादी कहते हैं...

श्री ओम् मेहता : आप क्या अपने को कहते हैं ।

श्री राजनारायण : . . . बहुत से लोग अपने को लोकतंत्री कहते हैं, तो मैं आज अपने मित्र इस विधेयक के प्रणेत से पूछना चाहूँगा कि वह जरा उस सवाल को भी सोचेंगे कि लोकतंत्र की मान्यता क्या है ! क्या लोकतंत्र और लोकशाही सामन्ती भाषा पर चलेगी ।

श्री चित्त बासु (पश्चिमो बंगाल) : राजनारायणशाही पर ।

श्री राजनारायण : लोकतंत्र, लोकशाही तो लोकभाषा पर चलेगी, लोकशाही के लिये लोकभाषा की अनिवार्यता है । राज हो जनता

का, भाषा हो अंग्रेजों की ! दुनिया में कहीं यह है, कहीं यह हुआ है ! जिसका राज हो उसकी भाषा हो, जिसका राज होगा राजकाज उसकी भाषा में चलेगा ! अगर यह जनता का राज है तो जनता की भाषा में राजकाज चलना चाहिये । चूँकि जनता की भाषा में राजकाज नहीं चल रहा है इसलिये यह जनता का राज नहीं है ।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) in the Chair]

श्रीमन्, आप देखें । मैंने सोचा था कि शायद कोई चैलेंज करेगा तो हमने हर पार्टी के चुनाव-घोषणापत्रों को मंगा लिया था, जनसंघ का भी मंगा लिया था क्योंकि हमारे कुछ मित्रों ने कहा था कि दिखाइये यह कहाँ लिखा हुआ है तो हमने कहा कि हम उन्हीं की किताब से पढ़ कर सुना देंगे । तो मैं उनकी ही किताब से पढ़ कर सुनाता हूँ । उन्होंने लिखा है : कांग्रेस शासन ने संविधान में दिये गये राजभाषा आदेशों का पूरी तरह उल्लंघन कर के अंग्रेजी को देश के ऊपर थोपा है। यह ठीक है । आगे है : भारतीय जनसंघ राष्ट्र को अंग्रेजी की दासता से मुक्त करायेगा । यह ठीक है । आगे है : जनसंघ निम्नलिखित भाषानीति को व्यवहार में लायेगा : (1) संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित किया जायेगा । समारोहों तथा सरकारी अवसरों पर उसका ही प्रयोग होगा । यह जनसंघ ने अपने चुनाव-घोषणापत्र में लिखा है । मैं बहुत ही अदब के साथ अपने मित्र श्री निरंजन वर्मा से निवेदन करूँगा कि संस्कृत हमारे देश की जन-भाषा कभी नहीं है ।

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : जब मैं अपना भाषण करूँगा तब आपकी इस धारणा को निर्मूल करूँगा ।

श्री राजनारायण : यह कहते हैं कि समारोहों तथा सरकारी अवसरों पर उसका ही प्रयोग होगा । तो मैं इनको यह कहना चाहता हूँ कि फिर हिन्दी कहाँ जायेगी । अगर जनसंघ के हाथ में ताकत आई और सब सरकारी समारोहों में संस्कृत का ही केवल प्रयोग हो तो हिन्दी

कहाँ जायेगी ! तब तो हिन्दी रह नहीं गई । इसलिये जनसंघ की भाषा नीति का यह दोष है । मैं केवल इंगित कर रहा हूँ, इस पर विशेष नहीं कहूँगा, यद्यपि हमारे मित्र श्री सेनगुप्ता ने इस बात को मान लिया है कि संस्कृत को भी इसमें शामिल कर लें ।

श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह (बिहार) : लेकिन माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जीवन केवल उत्सवों तक ही सीमित नहीं है, उत्सवों बहुत ज्यादा उसका विस्तार है ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, उसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र भी मेरे पास है ।

SHRI R. T. PARTHASARTHY
(Tamil Nadu): Mr. Rajnarain's half an hour speech has lulled the hon. Minister to sleep.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI
ABKAR ALI KHAN) : It is interesting.
You continue, Mr. Rajnarain.

श्री ओम् मेहता : देखिये, आप इतनी लचकदार भाषा बोल रहे हैं कि मिनिस्टर महोदय आपकी भाषा में सो गये ।

श्री राजनारायण : माननीय मंत्री जी सो गये तो अभी तक तो भार्गव जी चेन्नै पर थे इसलिये मैं हिन्दी बोल रहा था अगर अब आया गया है तो मैं अपनी भाषा में कुछ उर्दू का भी मिला कर कहूँगा ।

श्री निरंजन वर्मा : गंगादास जी जमुना गये तो जमुनादास और गंगा गये तो गंगादास । यह क्या है कि उर्दू बोलने लगे ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं कहता चाहता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र हमारे सामने विद्यमान है, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि अंग्रेजी जब तक जोन स्वेच्छा से हटाने के लिये तैयार न हो जाय तब तक जबरदस्ती अंग्रेजी हटाई नहीं जा सकती । मैं हैरत में पड़ा हुआ हूँ । क्या नागालैंड स्वेच्छा से अंग्रेजी हटाने के लिये तैयार होगा । नागालैंड स्वेच्छा से अंग्रेजी हटाने के लिये

तैयार नहीं होगा । आज अमरीकी साम्राज्यवादी ताकत इतनी गहराई के साथ सब पर छा रही है कि वह हमारे ही लोगों में अंग्रेजी की वकालत करने के लिये एक न एक गुट को पैदा कर दिया करते हैं । मैं इस वक्त इसके लिये चीन की तारीफ करता हूँ, भाषा के मामले में चीन की तारीफ करना हूँ । श्रीमन्, मैं नाथू ला गया था, यहाँ कुछ मित्र होंगे जो कि हमारे साथ नाथू ला गये थे उनको मालूम होगा, चीन अपने लाउड स्पीकर से बोल रहा था हमारे जवानों को, हमारे जाने के बारे में हिन्दी भाषा में वह कहते थे : कुछ दिनों में दक्कान आये हैं, इन दक्कानों में होशियार रहना । चीन हमारे जवानों को, हमारे जवानों को, हमारी भाषा में बोलें और हमारे फोर्ज अफसर हमारे जवानों से अंग्रेजी भाषा में बोलें । तो आज हमारे देश की सीमा खतरे में पड़ी हुई है । श्रीमन्, मुझे एक प्रार्थना करनी है और वह यह है कि अंग्रेजी आज भाषा बनो हुई है सरकार की, बड़े बड़े अफसरों की और वह अंग्रेजी की बदौलत देश की सीमा को खतरे में डाल रहे हैं । हमारे देश की सीमा क्या है । मैं एक बात इस सम्बन्ध में कह देना चाहता हूँ कि जब तक अंग्रेजी राजकाज में हटती नहीं तब तक हमारे देश की सीमा, हमारे देश की आजादी खतरे में रहेगी । तब तक हमारे देश की सीमा खतरे में रहेगी इसलिये अंग्रेजी को फोरन हटाओ ।

एक दूसरा सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ यह सवाल, है कोई दे जवाब ।

श्री ओम् मेहता : क्या सवाल है ।

श्री शीलभद्र थारु : हम जनाब देवे, हम तो आपके लिये हैं ही, और कोई नहीं मिलेगा तो हम तो हैं ।

श्री राजनारायण : सवाल यह है कि आज जिनके घरों में पाँच साल से, आठ साल से या दस साल से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हुई है और जिनके घरों में दो सौ, ढाई सौ साल से

(श्री राजनारायण)

अंग्रेजी की पढ़ाई है, तो जो लोग अंग्रेजी में पले हैं, उनके या किसके बच्चे अच्छे होंगे, वही खानदानी गुलामों के ! जो खानदानी गुलाम हैं, जिन्होंने कि अंग्रेजी राज आया तो अंग्रेजों की गुलामी की, कोई दूसरा राज आ जायेगा तो उसकी गुलामी करेगा, वही खानदानी गुलाम अंग्रेजी राज टूटने के बाद भी आज देश की जनता के ऊपर हावी हैं . . .

श्री शीलभद्र याजी : जितने खानदानी गुलाम थे वे सब अंग्रेजी के प्रकांड पंडित थे और आप भी अंग्रेजी के कानून पढ़ते हैं। शरम नहीं आती है बोलने में।

श्री राजनारायण : आज उनके घर के बच्चे अंग्रेजी में ज्यादा नम्बर पाते हैं जो अपनी मां को 'ममी' कहते हैं, माता नहीं कहते हैं, माई नहीं कहते हैं, अपने पिता को डैडी कहते हैं, बाप नहीं कहते। डैडी डैडी। ममी ममी, ऐसा लगता है यह ममी के मुंह में दो झापड़ मारें। यह भारत है, यह इंगलिस्तान नहीं है।

श्री अजकिशोर प्रसाद सिंह : एक बात और है। जब किसी को बिदाई देते हैं तो 'टाटा' कहते हैं।

श्री राजनारायण : हाँ, टाटा करते हैं। जब हम अंग्रेजी हटाने की बात करते हैं तो इंगलिस्तान की बात नहीं करते हैं, हम अंग्रेजी खत्म करना चाहते हैं भारत से और भारत को भाषा लाना चाहते हैं। और जो लोग उर्दू और हिन्दी का झगड़ा खड़ा करते हैं उनसे भी मैं बड़ी अदब से कहूँ कि हे भाई, उर्दू और हिन्दी का झगड़ा मत करो, ये दोनों बहिन हैं। उर्दू हमारे देश की भाषा है, उर्दू की हमको इमदाद करनी है, उर्दू को तरक्की के रास्ते पर ले चलो। उर्दू तो "यह दिल की बस्ती है जो मचाती है हलचल; जो नशा शराब में है नचाती है वह"। उस बस्ती को देखो और उस शेर का अर्थ निकालो, क्या इसका अर्थ है समझो। तो यह उर्दू जो एक मर्तबा मुर्दे में जिन्दगी को पैदा करने की ताकत रखता है, उस उर्दू को तुम चाहते हो नीचा दरजा दें . . .

श्री शीलभद्र याजी : कोई नहीं चाहता है। कौन चाहता है ?

श्री राजनारायण : यह शीलभद्र चाहता है। देखिये, कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिस पार्टी में कम्युनिस्ट भी हैं, जिस पार्टी में जनसंघ भी हैं, स्वतंत्र पार्टी भी है, सिर्फ एक पार्टी नहीं है और वह है संसोध।

श्री ओम् मेहता : पीइन्ट आफ आर्डर। मैं राजनारायणजी से यह पूछूंगा कि जब उनकी हुकूमत थी यू०पी० और बिहार में, तब उन्होंने उर्दू के लिये क्या किया था।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, अपने मित्र श्री ओम् को इस सवाल को पूछने के लिये मैं थोड़ा सा धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छा सवाल किया। अगर ऐसा ही सवाल यह हमसे किया करें तो हमारी तबीयत बहुत खुश होगी। मुझ इस सवाल से लगा कि ओम् भी राजनीति में कुछ समझना चाहता है। तबीयत हमारी मस्त है। यह सही है उत्तर प्रदेश में जो संविद का कार्यक्रम बना था वह हमारे हाथों से बनाया हुआ था। 10 दिन तक लखनऊ में श्रीमन्, पूरी चर्चा हुई, सभी पार्टियों ने उस कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया। उसमें उर्दू राज्य की दूसरी भाषा होगी यह लिखा हुआ था मगर . . .

श्री ओम् मेहता : हुआ क्यों नहीं!

श्री राजनारायण : हल्ला मत करो। यह भी साफ है कि जनसंघ के प्रतिनिधि ने सारे घोषणापत्र में इसी एक वाक्य पर अपनी असहमति विमति टिप्पणी दे दी थी।

श्री ओम् मेहता : फिर जरूर देना चाहिये था।

श्री राजनारायण : मैं उनकी तारीफ करूंगा। जब हम लोगों ने उनको तमाम तर्कों को देकर कहा कि इसको ठीक करो, काहे को इस चीज को भूकते हो तो उन्होंने कहा और सब पर हमारे हस्ताक्षर हैं मगर एक बात पर हमारी विमति है। ईमानदारी से उन्होंने कह दिया। मैं इस चीज को साफ कर दूँ कि बराबर संसोध ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें 1958 से ही

जिस समय उसका राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, यह फैसला किया था कि उर्दू रीजनल भाषा है उसको हम मान्यता देते हैं। हमारा नाम छोटा सा, राजनारायण है, लखनऊ में उर्दू के सवाल को लेकर जब जब प्रदर्शन हुआ है तब तक उस प्रदर्शन की अगुवाई की है और यह भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने उर्दू को मुसलमानों की ज़बान और हिन्दी को हिन्दुओं की ज़बान माना है, हमने उनकी खुले शब्दों में निन्दा की है और उसके लिये हम लात भी खाये हैं, इसको हम छिपाते नहीं हैं। कोई आर्गो-नाइजर को पढ़ें, पांजून्य को पढ़ें, शापद ही उसमें कोई लेख रहा हो जिसमें दो चार बार हमारे ऊपर हमला नहीं किया गया हो। तो सफायी के साथ मैं कहूँगा, गांधीजी को पढ़ो।

श्री शीलभद्र याजी : 45 मिनट इनको बोलते हुए हो गये हैं। ये मोनोपोलिस्ट हैं।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, गांधी जी ने बार बार यह साफ तौर से कहा कि आज राज्य की ओर से जो हिन्दी चलाई जा रही है मैं इस हिन्दी को कतई पसन्द नहीं करता, मैं इसको एक साजिश मानता हूँ। दिल्ली में जो बड़े बड़े आफिसरान बैठे हैं उनका एक हठ है कि हिन्दी को एक ऐसा रूप दें जिसको पढ़ने में राजनारायण को उतनी ही दिक्कत हो जितनी दिक्कत कि हमारे मित्र मुल्ता गोविन्द रेड्डी को है, वह ऐसे क्लिष्ट, ऐसे कड़, ऐसे बेहूदे शब्दों की रचना करते हैं जो आज हिन्दी को प्रसारित, हिन्दी के विकसित होने में बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करते हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि आज सरकार जिस ढंग की हिन्दी चला रही है वह जनता की हिन्दी नहीं है, वह हिन्दी का नाश कर देगी, हिन्दी के विरुद्ध लोगों की भावना को उकसायेगी। तो गांधी जी ने क्या कहा इस बारे में। गांधी जी ने कहा कि हमारी हिन्दी वह है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाये तो हिन्दी और अरबी या फारसी लिपि में लिखी जाये तो उर्दू।

श्री निरंजन बर्मा : और "शाहजादा राम" न भूल जाइये।

श्री राजनारायण : ऐसी भाषा चलाओ जिस भाषा को देवनागरी लिपि में भी लिखा जाये और जिस भाषा को अरबी और फारसी लिपि में भी लिखा जाय। भाषा एक हो, केवल लिपि का फर्क हो, यह गांधी जी ने कहा। तो जो भाषा आज चलाई जा रही है हिन्दी के नाम पर, वह हमारे देश की आम जनता की हिन्दी भाषा नहीं है। श्रीमन्, भाषा दफ्तरों में नहीं बनती, भाषा बराबर इस्तेमाल में आते आते बनती है, भाषा स्वयं से गढ़ी जाती है। कुछ विद्वान लोग दफ्तरों में बैठ कर भाषा की रचना करें वह भाषा भाषा नहीं होगी। वह भाषा साहित्य और भाषा विज्ञान से जो लोग संबंध रखते हैं और जो उसके समझने वाले हैं उनके लिये ठीक है। इसलिये गांधी जी की वाणी को पढ़ो। गांधी जी ने कहा है सच्ची शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही हो सकती है जिससे हृदय के द्वार खुलते हैं। इसलिये श्रीमन्, आज जितने भी राष्ट्रीय नेताओं को देखोगे सभी ने शिक्षा से, राजकाज से, अंग्रेजी को हटाने की बात कही है चाहे वह नेता जी मुभाषचन्द्र बोस रहे हों, चाहे वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हों, चाहे राम मनोहर लोहिया हों। हमने यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिगप्पा का भी वक्तव्य पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा है हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो इस देश के लिये सर्वमान्य भाषा हो सकती है। आज इस भाषा के विवाद को हमको बुद्धिमत्ता के साथ खत्म करना चाहिये।

मैं फिर तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्री गुप्त का कि उन्होंने यह संशोधन विधेयक लाकर एक मौका दिया जिस मौके का इस्तेमाल करके हम अपने दिमाग में भाषा की समस्या का समाधान करें। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ अपने मित्र श्री सेन गुप्त साहब से, कि वह जितनी ताकत विदेश की सभी भाषाओं को चलाने के लिये यहाँ लगा रहे हैं उससे कई गुना ताकत बंगाल में बंगला को राजभाषा के रूप में चलाने में लगाएँ। आज भी मेरी जानकारी है कि बंगाल में सरकारी कारोबार सभी बंगला में नहीं होता।

(श्री राजनारायण)

और आज बड़े बड़े जो वहाँ के सरकारी अफसरान हैं वे अंग्रेजी का ही ज्यादा प्रयोग करते हैं। वहाँ की सरकार अपने को जनता की सरकार कहती है, अपने को प्रोग्रेसिव सरकार कहती है और अपने को एक क्रान्तिकारी सरकार कहती है फिर भी वह अंग्रेजी में अपना सारा राजकाज चलाती है। उसको बंगला में अपना सारा कामकाज चलाना चाहिये अगर वह अपने को जनता की सरकार कहती है। वहाँ पर एक मिनट के लिये भी अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिये। क्योंकि जब तक अंग्रेजी रहेगी तब तक बंगला अपना सही स्थान ग्रहण नहीं करेगी। इस बात की अच्छी तरह से समझ लिया जाना चाहिये।

श्रीमान, मैं आपको एक उदाहरण देकर अपना भाषण समाप्त कर दूँगा। मेरे मित्र वहाँ पर नहीं हैं, वे चले गये हैं। वे इलाहाबाद में आते हैं। इलाहाबाद में जो चोफ जस्टिस श्री मूषम था जब वह जाने लगा और उसकी बिदाई हुई तो उसने एक ही वाक्य कहा था जो सभी भारत-वासियों के मुँह पर एक अच्छा समाचा था और सरकार के मुँह पर एक करारी चोट थी उस सरकार का मुँह बाला करने के लिये मूषम के वाक्य काफी है। उसने कहा कि जब अंग्रेजी राज्य चला गया तो फिर अंग्रेजी भाषा को क्या जरूरत है और राजकाज में अंग्रेजी भाषा की क्या जरूरत है। अंग्रेजों के खात्मा के साथ अंग्रेजी भाषा का भी खात्मा हो जाना चाहिये। इसलिये अगर उसी समय पर अंग्रेजी भाषा का खात्मा कर दिया गया होता तो आज यह विवाद नहीं चलता और भाषा का सवाल अपने अण्ड झल हो गया होता। अगर उस समय के जो 15 साल की छूट नहीं दी होती जो कि सबसे बड़ी गलती थी तो आज यह समस्या हमारे सामने नहीं खड़ी होती और यही वजह है कि आज तक भाषा का विवाद अपनी जगह पर बना हुआ है। आज अंग्रेजी सब जगह पर आई हुई है। हमारे मित्र श्री याजी बड़े समझदार आदमी हैं लेकिन टाइम्स आफ इंडिया में जिन 77 कांग्रेस वालों ने प्रधान मंत्री

में अविश्वास प्रकट किया है, उनको समझने में असमर्थ हैं।

SHRI R. T. PARTHASARATHY :

Sir, I rise to oppose the Constitution (Amendment) Bill moved by Mr. Sen Gupta. I oppose it because in my view it will be politically unwise, impractical in parliamentary work and harmful to parliamentary democracy if the 14 languages of India were to be adopted as languages in parliamentary usage. I would begin my submission by saying that parliamentary democracy is a government by discussion, debate and consent. And the essence of parliamentary democracy is that one should understand what the other across the House speaks and what he means. There should be a lively debate as we witnessed a little while ago as between Mr. Rajnarain on the one side and Mr. Yajee and Mr. Om Mehta on the other side. If there should be 14 languages spoken nobody would bother to learn the common language, the official language, as a result of which the essence of parliamentary democracy will be taken away. The keenness to have a lively debate will be totally absent in the precincts of the two Houses of Parliament. May I say that if 14 languages are to be used in this House, there will come a day when this House will turn into—very submissively I say—a House of Babel because the Members will not be able to understand one another, and if that be the case . . . (Interruptions) the sense of the Opposition and the Government on each side in giving what I call repartee would be totally lost and that would take away the life of parliamentary democracy. That is why I said that it would not only be impractical but equally unwise if we accept the 14 languages. And even though there may be translations of all the fourteen languages, that quickness of repartee will not be there. The translators, except in the United Nations, are not so perfect and by the time we get into the translation, the essence of that statement or that speech which we should grasp in that particular moment will be totally lost, and that is my submission.

Secondly, if we look at the whole picture of a United India, geographically our country is one, and we today appear before the whole world, with our unity in spite of all our diversity, as

in spite of all our diversity, as Indian people. Let us take the case of Canada for example. They are a united people. In spite of the fact that they may have differences as between the people of the French origin and the English origin, they have adopted two languages, French and English, as their official languages. Take the case of Yugoslavia. They have adopted four languages in that small continental State.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Are you referring to Switzerland?

SHRI R. T. PARTHASARATHY : I am referring to Canada and then to Yugoslavia.

When that is the case, and if in India we were to adopt all the 14 languages, I am afraid and as I foresee about the future, it will bring about more and more of a divided outlook rather than promoting a united outlook. It is alright that in Madras we have accepted Tamil as our State language and in Bengal they have Bengali as the State language. But there must be some time and some place where we should assemble . . . *(Interruptions)* You can reply. You are the Mover of the Bill. Please do not interrupt. I am not yielding to you.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: Parliamentary practice is .speaking. . .

SHRI R. T. PARTHASARATHY: You cannot interrupt me. You are. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): If there is a point of order. . .

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA : I am asking a question. Why don't you yield?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): He is not yielding.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: Why is he not yielding? Sir, I am asking through you whether it should be only Hindi for the sake of unity? Is he prepared to give up English? Let him reply.

SHRI R. T. PARTHASARATHY : You are to meet all the points. I am placing before the House in your reply. 7—34 R. S./69

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: Why don't you hear me? When you are speaking, if anybody wants to ask for clarifications, you are bound to yield.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : You sit down. That is not the right thing.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: The right way is that he should yield.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : You may not agree with him. That is a different thing. But you should not interrupt him.

SHRI R. T. PARTHASARATHY : Sir, I wish he does not interrupt me.

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal): If a particular Member speaks and another Member wants to seek a clarification from the speaking Member, is it out of order? Can he not seek a clarification? When he asks for the clarification, the Member can say, I am not in a position to give that clarification, I am not in a position to answer that question. That is a different matter. But if a Member is speaking and another Member wants to ask a question or a clarification why should he say that he is interrupted? This is not interruption, this is asking a question which everybody can do.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): I do not allow it during the speech. Yes, Mr. Partha-sarathy.

SHRI R. L PARTHASARATHY : Before the interruption by the hon. Member, I was submitting to you about the concept of a divided India, if we are going to take the essence of the Bill that is before the House, I very respectfully submit that if we accept that proposition, in the not too distant future we shall at least in the framework of our minds will be thinking not as a united country or a united federal India but as—which I would describe—United Nations of India, and the very object of a united India under the aegis of our Constitution, so ably envisaged by our Constitution-makers, will be destroyed because this will ultimately make everyone cling so closely to his language which is only one aspect of our na-

[Shri R. T. Parthasarathy]

tional life and ultimately it will make us forget the other aspects of our national life, the political unity, the defence problems and the economic ideal. Language is a sentimental thing, a very delicate thing. If we allow it to play a dominant role in the forum of Parliament, I am afraid, ultimately we may have to wish goodbye to our unity concept. My learned friends may not agree with me. But that is my view.

I would very respectfully submit that the Constitution has recognised, and very wisely, that Hindi and English shall be the official language and the associate official language of India. Pandit Nehru's assurance to the non-Hindi people we have debated and we have quoted during the official language debate. Time and again it comes before my mind and I am sure as long as Indian democracy lasts, the assurance of Pandit Nehru will always be in our mind and we shall carry it through the letter and spirit in which Panditji made it to the people of the non-Hindi speaking areas.

Sir, if we have these two languages, it is not that the people who do not know these languages are not permitted to speak in any other language. That is not so. Even the very Bill that is before us concedes that they can, if they are ignorant of the two languages, they can speak in their own mother-tongue and give a translation of their speech to the Secretariats of the two Houses of Parliament. But my essential contention is that if this is removed, if the two languages alone are not there, then this national forum will be converted into a poor debating society. It is not the intention of the Constitution-makers to convert this Parliament of India into a debating society. On the other hand, it represents the people of India, the ideology of the people of India. It is here that we reflect the will of the people. We should see what best and how best we can achieve our aim for the successful administration of this country. What will be the result, may I ask you, Sir, and through you, this distinguished House, if we are to accept the 14 languages as the official languages to be used in Parliament? The logical consequence of this will be that that right will have to be conceded by the Government of India to every one who conducts the affairs of the

Government of India to use all the 14 languages one day or the other in the Government of India. Is it possible? I cannot conceive of a day when the Government of India will be able to adopt these 14 languages as the languages of administration. I foresee in this Resolution of my hon'ble friend, if I may very respectfully put it, the mischief of separatism. The mischief of separatism is very ably and adroitly covered by this Bill. I foresee the day when in the name of language, State after State will be isolated, and when isolation creeps in it is easy for those who have their leanings on foreign powers to slowly capture the freedom of our country.

SHRI A. P. CHATTERJEE : You mean China.

SHRI R. T. PARTHASARATHY: And that is why, Sir, I very respectfully submit to you and, through you, to this House, that it is not merely on the merits of the case, it is more as a consequence of what is thought of, it is a very dangerous precedent if we are going to accept all the 14 languages. Even though a translation could be provided, if it is accepted, it will be dangerous to the concept of our unity and the concept of our freedom.

Sir, I would concede, following the Yugoslavian model, if it is possible for the Parliament Secretariat to provide for one or two more of the additional Eastern or Southern languages like Bengali or Telugu or Tamil to be simultaneously translated, if it is possible to provide translation it may be accepted. But even then I say that the purpose of this Parliamentary democracy will not be so successful as it is today conducted with Hindi and English as the only two languages of this Parliamentary forum.

Sir, the language problem has brought about so much of confusion and generated feelings in the minds and hearts of millions of our countrymen even to the extent of causing violence. I do not want to repeat what I have slated on more occasions than one on this very floor of the House. The only solution, according to me—and I feel that I am reflecting the saner opinion—is the adoption of the two languages not only for the administration of India, that is the Union administration, but also as the languages of Parliament.

ir.ent, the House of the People and the Council of States. It should be and shall be Hindi and English. It is only in this permanent bilingualism, if not prolonged bilingualism, that our future lies and if we shall accept it we shall have gone a step forward and we shall have got rid of this narrow outlook, and our future will be safeguarded and ensured. This concept of permanent, if not prolonged, bilingualism, in which I have laid faith, in this, I hope, the hon'ble Members of this House will also lay their faith. I thank you very much.

श्री निरंजन वर्मा : श्रीमन्, हमारे मित्र श्री सेनगुप्त जी ने सदन में जो यह बिल प्रस्तुत किया है इसके लिये उनकी भावना की बहुत कद्र की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा से प्रेम और ममत्व होता है। वे समझते हैं कि बहुत सी भाषाएं यहाँ पर अनुवाद हो कर के सदन में बोली जाया करें तो उनके समझने वालों को बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होगा और वे आसानी से समझ सकेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक कठिनाई उसमें अवश्य है। हमारे मित्र पारथसारथी जी ने भी बताया कि इसमें कठिनाई आ सकती है और बहुत सी भाषाएं एक साथ अनुवाद कर के यहाँ पर सदन में प्रस्तुत की जायें यह संभव नहीं है। इसी मिलसिले में श्री राजनारायण जी ने और कुछ दूसरे मित्रों ने भी प्रकाश डाला है। उन्होंने अभी बताया संस्कृत भाषा के बारे में कि वह कभी कोर्ट लैंग्वेज नहीं रही। यह उनका अपना निजी खयाल है, मगर संस्कृत कोर्ट लैंग्वेज रही है कोर्ट की भाषा रही है। भाषा के बारे में संसार का सामान्य सिद्धांत यह है कि भाषा राज सत्ता के कारण ही चलती है। अगर राज्य सत्ता के कारण भाषा न चली होती तो अंग्रेजी कैसे यहाँ पर होती। अगर राज सत्ता न होती तो यहाँ पर फारसी भाषा कैसे आ जाती। अगर राज सत्ता न होती तो मुगलों की टर्किश भाषा यहाँ पर कैसे आ जाती।

श्री ए० पी० खट्वा : टर्किश नहीं थी, पर्शियन थी।

श्री निरंजन वर्मा : कृपा करके जिस विषय का आप को अध्ययन न हो उस पर न बोलिये तो अच्छा है। टर्किश भाषा मुगलों के घरों में हमेशा बोली जाती थी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Not the administration.

श्री निरंजन वर्मा : टर्किश भाषा एडमिनिस्ट्रेशन में भी थी। मैं आप से निवेदन करूँगा कि जब मुसलमान इस देश में आये तब मुसलमानों ने इस देश में आ कर के फारसी भाषा चलाई, लेकिन फारसी भाषा की जो लिपि थी वह लिपि उन्होंने नहीं चलाई। इस देश में उन्होंने अरबी देश की लिपि चलाई।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : दोनों में कोई फर्क नहीं है।

श्री निरंजन वर्मा : मैं निवेदन करता हूँ। उन दोनों में जमीन आसमान का अन्तर है। फारस का बादशाह जब शापुर था उस समय अरबी लिपि नहीं लिखी जाती थी। फारस के ऊपर, खुरासान पर अखमीनियन एम्पायर था, उस समय अरबी लिपि नहीं गई थी। अरबी लिपि वहाँ सातवीं शताब्दी में इस्लाम के उदय के बाद गई। अखमीनियन एम्पायर में खुरासान...

श्री शीलभद्र याजी : वर्मा जी, पर्शियन अरेबिक की बात आप कर रहे हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, टर्किश भाषा कभी यहाँ की राजभाषा नहीं रही है, जहाँ तक हमको खबर है। इसको आप सही कीजिए।

श्री निरंजन वर्मा : मैं बहुत नम्रता के साथ प्रार्थना करूँगा कि बाबर नामा और गुलबदन बेगम का हुमायूँ नामा भी देख लीजिए (Interruptions) उन दोनों में आपको टर्किश भाषा काफी मिलेगी। मुगलों ने कोशिश की कि यहाँ पर तुर्की भाषा चलाएँ। टर्किश भाषा का मतलब टर्की की भाषा मत समझें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जितने पुराने एम्पायर थे ईरान के नीचे का पाट और अजरबैजान का ऊपर का पाट वहाँ अरबी भाषा नहीं चलती थी, वहाँ अलग

[श्री निरंजन वर्मा]

अलग लैंग्वेज के साथ अपनी लिपि अलग चलती थी। इस्लाम के उदय के बाद अरबी भाषा की लिपि वहाँ आई, वही हमारे यहाँ भी आई।

जहाँ तक भाषा का प्रश्न है और मुसलमान का प्रश्न है, हम बड़ी नम्रता के साथ कहते हैं कि देश में हिन्दी को स्थान दिलाने में हिन्दू ने उतना नहीं किया, जितना मुसलमान ने किया। जहाँ जहाँ मुसलमान गए, जहाँ जहाँ मुसलमान राजा गए वहाँ हिन्दी गई, जहाँ मुसलमान ताकत नहीं गई वहाँ हिन्दी नहीं गई। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप तंजौर चले जाइए बिल्कुल दक्षिण में, तंजौर के नवाब और अर्काट के नवाब चांदा साहेब थे, वहाँ हिन्दी आ गई और वह समझी जाती है आज भी। श्रीमान्, हम हैदराबाद शहर की गली गली में गए, कोई कष्ट नहीं हुआ, हम हिन्दी में भाषण करते थे...

श्री शीलभद्र याजी : उर्दू वहाँ मीडियम थी नवाब के वक्त।

श्री निरंजन वर्मा : हमारे मित्र अपनी योग्यता का बारबार प्रदर्शन न करें। मैं जहाँ गलत कह रहा हूँ उसका संशोधन कर दीजिए लेकिन कुछ कहने तो दीजिए।

हिन्दी भाषा और उर्दू में कोई अन्तर नहीं है। जनसंघ की दृष्टि से हम कहते हैं कि हिन्दी और उर्दू में कोई अन्तर नहीं है केवल स्क्रिप्ट का अन्तर मानते हैं और इसलिए मानते हैं, क्योंकि अगर हिन्दी को या उर्दू को आप नागरी लिपि में लिख दो तो वह हिन्दी हो जाती है और अगर हिन्दी भाषा को आप अरबी लिपि में लिख दो तो वह उर्दू हो जाती है। उर्दू में थोड़े फारसी के शब्द आते हैं जबकि हिन्दी में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द आते हैं। यही अन्तर है और विशेष कोई अन्तर नहीं।

हमें गौरव है कि पूरे भारत वर्ष में सबसे पहले हिन्दी लाने का अगर किसी को श्रेय है तो हम ग्वालियर निवासियों को है। 1937 में ग्वालियर में जो गजट निकलता था वह हमने हिन्दी में करवाया। सम्बत् 1960 में ग्वालियर

की कोर्ट भाषा हिन्दी बनी। यह डिक्री जो दी जाती है मुद्दई के हक में मुद्दालेह के खिलाफ उसके लिये वहाँ पर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध इतने रुपये की डिक्री दी जाती है, इस प्रकार लिखा जाता है। श्रीमान्, यह तर्क दिया जाता है कि हिन्दी कहीं कोर्ट लैंग्वेज नहीं हो सकती। हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट की भाषा हिन्दी थी। हम जितने एडवोकेट थे हाई कोर्ट में हिन्दी में आर्गुमेंट दिया करते थे आज भी कोई कठिनाई नहीं है।

जब बाहर के मुसलमान हमलावरों ने हमला किया तो यहाँ के निवासी मुसलमान भाई और हिन्दू भाई उन हमलावरों के सम्पर्क में आये और उस वक्त जो बाजार में भाषा बोली जाती थी वह उर्दू के नाम से प्रसिद्ध हुई। उर्दू का आज भी मतलब निकाला जाय तो वह यही है कि बाजार में चलने वाली चीज। इस तरह उर्दू चली। आज जो यहाँ अंग्रेजी-भक्त भाई हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर भाषा बनाने से नहीं चल सकती, भाषा तो स्वयं उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिये बता दूँ। भाषा के बारे में गांधीजी ने इन्दौर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन 1933 में किया, उसके बाद ग्वालियर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन किया। वहाँ जामिया मिलिया ने एक पुस्तक निकाली, जाकिर हुसेन साहेब ने उसको एडिट किया, उसमें उन्होंने लिखा 'बेगम सीता, मौलाना वशिष्ठ, शहजादा राम'। हम लोगों ने उसका बड़ा भारी विरोध किया कि यह खिचड़ी भाषा नहीं चल सकती। मौलाना की बात करते हैं तो एक अलग रूप आता है, वशिष्ठ की बात करते हैं तो एक अलग रूप आता है। भाषा स्वयं उत्पन्न होती है जैसे बाहर के हमलावरों के यहाँ आने से उनके बीच एक भाषा हो गई और वह भाषा चल निकली।

हमारे एक मित्र कह रहे थे—वे अब आ गए हैं, उनको बता दूँ—कि धार नगरी में, जहाँ भोज शासक था, संस्कृत की परिपाटी थी वहाँ की कोर्ट लैंग्वेज संस्कृत थी। अपने इन

मित्र को याद दिलाने के लिये मैं निवेदन करूँ कि एक लकड़हारा लकड़ी लिए हुए चला जा रहा था, उसे एक ब्राह्मण बैठा हुआ मिल गया, उस लकड़हारे ने संस्कृत में पूछा धार नगरी कितनी दूर है—मालवा में धार है—उस ब्राह्मण ने संस्कृत में उसका उत्तर दिया। उस लकड़हारे को बड़ी हंसी आई, उसने कहा कि पंडितजी भाफ कीजिए मुझको इतनी लकड़ियों का बोझ नहीं लगता जितनी आपकी टूटी संस्कृत का बोझ अपने ऊपर लग रहा है। यह वहाँ का मशहूर किस्सा है। तो कोर्ट लैंग्वेज संस्कृत भी रही है। संस्कृत के बाद जब प्राकृत भाषाएं आईं तो हिन्दुस्तान की दिल्ली राजधानी थी, यहाँ का जो कवि था, उसकी भाषा मुन लीजिए, जो हिन्दी और प्राकृत से मिलकर बनी हुई थी—

“कवी कविवं चंदं मुमाधो नरिदं सुरतान भट्टं मधू माद इदं ।”

शाहबुद्दीन गौरी के लिए उसने कहा है। तो कहने का मतलब यह है कि भाषाएं बनती नहीं, स्वयं उत्पन्न होती हैं।

जो अंग्रेजी की तरफदारी करते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि अंग्रेजी का मोह ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष का और है। 25 वर्ष से ज्यादा अंग्रेजी इस देश में चल नहीं सकती। इसका कारण यह है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में फ्रेंच बोलने में वहाँ के लोग बड़ा गौरव अनुभव करते थे, पार्लियामेंट में फ्रेंच भाषा चलती थी। तब वहाँ एक कानून बनाया गया। उसके पहले वकीलों ने आपस में यह तय किया कि कोर्ट में जो कोई फ्रेंच भाषा का एक शब्द बोलेगा उसे एक पींड जुर्माना देना पड़ेगा। इस तरह से वहाँ से फ्रेंच भाषा गई। यह 100-150 वर्ष पहले की बात है। हमारे मित्र पार्थसारथी जी ने कहा कि कनाडा में दो भाषाएं चलती हैं। हम बहुत नम्रता के साथ कहते हैं कि भाषा वहाँ अंग्रेजी ही चलती है। उत्तर कनाडा में फ्रेंच का बाहुल्य है इसलिए उनके लिए सहूलियत दी गई है। इसी तरह से यूगोस्लाविया की भाषा है।

हमारे यहाँ दो तरह के आदमी हैं जो अंग्रेजी

को जाने नहीं देना चाहते। एक वे हैं जिनकी अलग जाति बन गई है, आई०ए०एस० आफिसर्स। जब तक इन आई०ए०एस० आफिसर्स को खुली छूट रहेगी, वे इस देश की भाषा को कभी चलने नहीं देंगे। उसका कारण यह है कि उनके लड़के अंग्रेजी पढ़े लिखे होते हैं तो उन्हीं को नौकरी मिलेगी और अगर अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वे क्या करेंगे। हम नम्रता से कहते हैं कि जो हिन्दी का विरोध करते हैं उनसे हम कहते हैं कि हमारे मालिकों की भाषा अंग्रेजी है, हम जितने नौकर-चाकर हैं उनकी भाषा हिन्दी है। जितने बड़े बड़े मद्रासी भाई बैठे हैं मैं उनसे कहता हूँ कि वे अपने नौकर से पानी लाओ यह अंग्रेजी में नहीं कहते, बिस्तर उठा दो, अंग्रेजी में नहीं कहते लेकिन पार्लियामेंट में जब भाषण करते हो तो अंग्रेजी में भाषण करते हो, ऐसा समझ लीजिए हिन्दी तो नौकरों की भाषा है, फिर उसमें क्या कठिनाई हो सकती है। फिर कहा जाता है कि अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजी चली जिससे देश एक हो गया। इसके पहले क्या हमारा देश एक नहीं था? उस वक्त भी भाषा चलती थी। ब्रिटीश के पंडे गंगोत्री का जल लेकर रामेश्वरम पर चढ़ाने जाते थे। 1900 मील दूर चल कर, जिसका रंग गौरा है, जिसकी भाषा अलग है, जिसका भोजन करने का तरीका अलग, लेकिन जिस समय वह रामेश्वरम में जल चढ़ाने जाते थे तो वहाँ के लोग समझते थे कि यह हमारे देश का आदमी है। तो भाषा की समानता थी, ऐसा नहीं कि भाषा अलग अलग है और आज भी हम मद्रास के चाइना बाजार में गये तो वहाँ शायद ही ऐसी कोई दुकान हो जहाँ कोई हिन्दी जानने वाला न हो। इसलिए इस परिणाम पर मैं पहुँचा कि हिन्दी का विरोध कोई सही माने में नहीं है। अगर सचमुच में लोग हिन्दी के विरोधी हैं तो आज तेलंगाना का विद्रोह क्यों हो रहा है? यह तो स्वार्थी का दोष है, भाषा का कोई दोष नहीं है। अगर भाषा का दोष होता तो हम समझते कि भाषा के कारण ही यह युद्ध हो रहा है। तो भाषा के कारण यह सब नहीं है।

[श्री निरंजन वर्मा]

अब हमारे मित्र राजनारायण जी ने एक बात कही कि संस्कृत के लिए उन्होंने कहा है कि उसका राज भाषा होना असंभव बात है। पहली बात का तो मैंने उत्तर दे दिया कि संस्कृत राज भाषा रही है और उन की दूसरी बात का उत्तर यह है कि जहाँ तक माननीय राजनारायण जी की पार्टी का प्रश्न है, मैं आदर व्यक्त करता हूँ लोहिया जी के लिए। उन्होंने जितना प्रयास हिन्दी के लिए किया है उस की हम ने कभी कभी बड़ी तारीफ की है। कई भाषाओं में हम जनसंघियों से लोहिया जी बहुत आगे थे। वह स्पष्ट बात कहते थे। उदाहरण के लिए जब कभी जवाहर लाल जी लोहिया जी से मिलते थे तो वे कहा करते थे कि यह क्या शेरवानी चूड़ीदार पाजामा पहन कर आये हो, तबलची बन कर आये हो। कभी कोई टाई लगा कर जाता था तो कहते थे कि यह क्या कंठ लंगोट लगा कर आये हो। उन का कहना था कि मुर्शीदाबाद जैसे नगरों का बदलो। हिन्दी के मामले में हम ने उन की बहुत प्रशंसा की लेकिन यह बात कि जनसंघ ने संस्कृत को क्यों लिया तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग हिन्दी का विरोध करते हैं आखिर उन को भी एक कामन लैंग्वेज देश को देनी पड़ेगी और वह कामन लैंग्वेज संस्कृत ही हो सकती है। बंगाल के हमारे मित्र हैं, वे बंगाली बोलते हैं और उसे हम लोग समझ सकते हैं। हम नहीं समझते कि ऐसी कोई भारतीय भाषा है कि जिस में संस्कृत के शब्द न आये हों। और हर भारतीय भाषा में जितने संस्कृत के शब्द आते हैं उन को वह अच्छी तरह से समझते हैं। मुसलमानों ने भी संस्कृत को अपनाया। मैं निवेदन करूँ कि अकबर बादशाह ने जो राज्य पाया तो उस को राज्य दिलाने वाला बैरम खान था जो उस का सब से बड़ा सिपहसालार था। और इतने बड़े आदमी का लड़का जो था—खानखाना रहीम, वह भी संस्कृत का बड़ा ज्ञाता था और उस ने संस्कृत में इतना बढ़िया लिखा है कि जैसा कोई हिन्दू

कवि नहीं लिख सकता। इस हिन्दी के संस्कृत भरे पद को देखिए—

“अव्युत चरण तरंगिणी, शिव मिर भालति-माल”

आप बतलाइये, हिन्दी वाले भी बहुत से नहीं समझेंगे। तो हिन्दी भाषा के लिए मुसलमानों का बड़ा सहयोग रहा है। हमें अपने मस्तिष्क से यह बात निकाल देनी चाहिए कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। हमारे पिता ने यह उर्दू पढ़ी और हमारे परिवार में सभी ने उर्दू और फारसी पढ़ी है। तो हिन्दी हिन्दू की ओर उर्दू मुसलमान की भाषा है यह बात नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि एक कामन भाषा देश में रहनी चाहिए और जब तक एक भाषा नहीं रहेगी तब तक काम नहीं चल सकता। वह भाषा कोट लैंग्वेज हो, राज कार्यों के लिए हो। अपने घरों पर बोलने वाली भाषा अलग हो। हिन्दी भाषा के लिए लोग कहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हिन्दी कोई भाषा ही नहीं है। हिन्दी तो एक लिंक लैंग्वेज है, एक चलने वाली भाषा है। अगर कोई भाषा की बात करे तो ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, बुन्देलखंडी भाषा है, रुहेलखंडी भाषा है, मगधी भाषा है, कई भाषाएँ हैं, मगर जिसे हिन्दी कहा जाता है यह तो भाषा का स्वरूप ग्रहण कर लिंक लैंग्वेज के रूप में हो गयी है और इसे अपने देश के सब लोग समझते हैं इसलिए वह भाषा के रूप में आ गयी है और इस में जो क्रिया और कर्म हैं वह उर्दू के आ गये, जैसे, जाता है, खाना है, पीता है, उठता है, यह सब उर्दू के आ गए और इसलिए वह एक लैंग्वेज बन गयी है। इस तरह से श्रीमन्, यह बिलकुल एक अलग विषय है, भाषा का विषय। हमारे मित्र श्री मेन ने जो यह बिल प्रस्तुत किया है, हम समझते हैं कि अगर यह समाप्त हो जाय तो बहुत अच्छा हो।

३१० (श्रीमती) मंगलादेवी तलवार (राजस्थान) : मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हिन्दी भाषा कोई भाषा नहीं है। अवधी, मगधी आदि भाषाएँ हैं, यह ठीक है, लेकिन हिन्दी भाषा तो सब को जोड़ने वाली भाषा है। हिन्दी भाषा बहुत सशक्त भाषा है। उस

में तो इतना लिटरेचर है, इतना साहित्य है कि अब वही एक भाषा है कि जो अपने भारतवर्ष में सब प्रांतों में चल सकती है। तो उस के लिए यह कहना कि वह भाषा नहीं है, मैं समझती हूँ कि हिन्दी के प्रति अन्याय करना होगा।

श्री निरंजन वर्मा : ऐसा है कि आदरणीय बहिन जी, जो मैं कह रहा हूँ वही आप कह रही हैं। वह कोई अन्य बात नहीं है। मैं यह कह रहा हूँ कि हिन्दी भाषा एक लिक् लैंग्वेज का नाम है, मूल में वह कोई लैंग्वेज नहीं है। जैसे किसी ने कहा : खालिकबारी सिरजन-हार। चूंकि भाषाओं का विकास अकेले रहकर नहीं हो सकता है इसलिए उन्होंने ने एक फारसी का शब्द रख दिया और एक इस देश की भाषा का शब्द रख दिया जिसे आगे चल कर लोग समझने लग गये।

श्री तारकेश्वर पांडे : मैं भाषा विज्ञान से थोड़ा बहुत परिचित हूँ और भाषा का ज्ञान रखता हूँ। हिन्दी भाषा है इस में कोई संदेह नहीं। आधुनिक, प्राचीन और परंपरागत शब्द हिन्दी में हैं और संस्कृत के शब्द भी हैं और अरबी और फारसी के शब्द भी हैं और हिन्दी में यह शक्ति है कि उन को आत्मसात कर ले। इसीलिये हिन्दी में अरबी फारसी के शब्द आये अंग्रेजी के शब्द आये या अन्य किसी भाषा के शब्द आये और इस से भाषा के स्वरूप में विकृति नहीं आती बल्कि उस का स्वरूप सुन्दर होता है और अच्छा होता है। इस लिए आप उस को हिन्दी समझिये। जिस कविता का आप ने पाठ किया वह शुद्ध हिन्दी है इस में कोई संदेह नहीं।

श्री निरंजन वर्मा : श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि भाषा का स्वरूप बनता जाता है तो भाषा का विकास कैसे होता है। जैसे हमारे मित्र ने अभी थोड़ा पहले रहीम की बात कही, एक दो दोहे कहे। मैं अपने माननीय मित्र पंडित जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हिन्दी भाषा का थोड़ा बहुत मुझ भी ज्ञान है। वे 18वीं सदी के किसी भी कवि को बता दें कि जिस ने तत्सम में कविता की हो। 19वीं शताब्दि में भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने और फिर लल्लू लाल

जी ने इन का प्रयोग आरम्भ किया और फिर खड़ी बोली में रचना प्रारम्भ हुई। हमारी प्राचीन भाषा क्या थी ? तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, जो हिन्दी के बड़े कवि माने जाते हैं, वह अवधी में है। आज ऐसी स्थिति पर हम आ गये हैं कि जिस में एक भाषा के रूप में हम उसे समझने लगे और उसे एक भाषा का नाम देने लगे। तो मैं अपने उन मित्रों से, जो हिन्दी भाषा के विद्वान हैं, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर तमाम प्रान्तों के लोग आपस में संपर्क रखने लगेंगे और उस समय उन का काम बिना वाणी के नहीं चलेगा, बिना बोले नहीं चलेगा, तो वे आपस में मिल कर एक भाषा लाएंगे। उस में कुछ उन्होंने अपनी भाषा का दिया और कुछ लिया। अंग्रेजी के शब्द रेल, मोटर, लालटेन हम ने अपनी भाषा में समा लिए और यह हम को करना पड़ा। अगर हम अंग्रेजी भाषा को दूर रखकर चलते तो उस से काम नहीं चलता। उन के शब्द हम लेंगे और उन को आत्मसात करते जायेंगे। हम उन को पचा जायेंगे। तो इस तरह से हमारे मित्र ने संविधान में संशोधन लाने के लिए जो मुझाव दिया है उस के लिए मेरा उन से अनुरोध है कि भाषा का मामला बड़ा जटिल है। मेरे ख्याल में कोई इस का विरोध नहीं करेगा कि सभी भाषायें यहाँ अनुवाद करा दी जायें, लेकिन यह संभव नहीं है। दो भाषाओं में भी यह अच्छी तरह संभव नहीं होता। मैं आप को बताऊँ कि यूनाइटेड नेशन्स में भी यही समस्या है। बहुत सी ऐसी भाषायें हैं कि जिम को वहाँ बोला जाना चाहिए लेकिन वहाँ भी अनुवाद करने की समस्या है। केवल 5,6 भाषाओं का अनुवाद होता है। तो क्या यह संभव है कि यहाँ 14 भाषाओं का अनुवाद हो। और शासन यह संभव कर सके, मैं समझता हूँ कि अभी यह संभव नहीं है। और जब यह सम्भव नहीं हो सकता तो श्रीमन्, हमारा अपने मित्र से ऐसा अनुरोध है कि उनके हृदय की भावना तो बहुत अच्छी है मगर सम्भव न होने के कारण वह इस बिल को वापस ले लें तो उत्तम होगा। यही हमारी प्रार्थना है।

श्री आबिद अली (महाराष्ट्र): माननीय यह जो बिल इस वक्त चर्चा में है उसका मैं विरोध करता हूँ। यह तो मैं मानता हूँ कि हर एक भाषा का, जितनी भी भाषा अपने संविधान में लिखी है या नहीं लिखी है, सब का विकास होना चाहिये, खूब विकास होना चाहिए लेकिन उन सब का यहाँ पर अनुवाद हो यह असम्भव है। कितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, सब जगह से लोग वहाँ आते हैं लेकिन, जैसा कि अभी मेरे दोस्त ने फर्माया, चार, पाँच या छः से ज्यादा भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अनुवाद नहीं होता और वह ठीक भी है। हिन्दी खूब फले, खूब फूले, यह हमेशा से मैं चाहता था और अभी भी चाहता हूँ लेकिन हिन्दी से हिन्दी वालों ने जो दुश्मनी की है वह इतना बड़ा गुनाह उन्होंने किया है जिसको कि कभी माफ नहीं किया जा सकता। सत्यनारायण जी ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की मार्फत वर्षों से हिन्दी को बढ़ाया। लोग मुहब्बत से हिन्दी को अपनाते थे, बड़े शौक से हिन्दी पढ़ते थे। मैं भी उधर घूमा हूँ, लोग दस्तखत मांगते थे तो मैंने पूछा कि किस भाषा में दस्तखत करूँ तमिल में करूँ, इंग्लिश में करूँ तो कहते थे कि नहीं हिन्दी में दस्तखत करो। मेरे दस्तखत किताब में हिन्दी में मांगा करते थे। मैं हिन्दी जानता था, मैं मराठी जानता हूँ, गुजराती जानता हूँ, बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, पहले लोग पूछते थे कि आप हिन्दी जानते हैं तो मैं कहता था कि हाँ जानता हूँ लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मैं हिन्दी नहीं जानता।

श्री चित्त बासु : अब हिन्दी नहीं जानते।

श्री आबिद अली : नहीं जानता, क्योंकि जो हिन्दी अब आने लगी है वह हिन्दी नहीं जानता, आल इंडिया रेडियो पर, टेलिविजन पर ऐसी ज़बान सुनने को मिलती है कि कुछ कह नहीं सकता। मैं कुछ संस्कृत के शब्द भी जानता हूँ, गुजराती और मराठी में काफी शब्द संस्कृत के हैं, लेकिन वह कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं कि समझ में नहीं आती और लोग यह कहते हैं कि हिन्दी ऐसी बोली है जो कि

नहीं समझी जा सकती। जैसे कि नई पुस्तकों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में भाषण हो रहा था तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि "प्रावलेम इज़ वहेरी कठिन"। लड़ने के लिये तो आते हैं कि हिन्दी, हिन्दी, हिन्दी लेकिन अभी मैं कनाट सरकार में चार पाँच दिन हुये घूम रहा था...

श्री शोलभद्र याजी : आप भी लड़ते हैं।

श्री आबिद अली : कुछ ऐसे पागल हैं उन्हीं का असर है। . . . तो वहाँ उन्होंने कहा : टूटे टू मच शापिंग की, बेरी मच टायडें हो गई। यह उनकी हिन्दी है।

आप साहब ने गजट के बारे में फर्माया। ठीक बात है। ग्वालियर में गजट पहले आया लेकिन उसके बहुत साल पहले हैदराबाद में भी अपनी ज़बान में गजट छपता था। यह उर्दू और फारसी और हिन्दी है क्या? पिछली सदी में, जो कुरान का तर्जुमा किया है कोटला में वह उर्दू में किया है लेकिन लिखते हैं कि मैं अल्ला का शुक्र करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह योग्यता दी कि मैं इस कुरान को हिन्दी में लिखूँ।

श्री निरंजन वर्मा : लेकिन यह तो बहुत बाद में लिखा गया होगा। मैंने हिन्दी के कुरान को आज से पच्चीस साल पहले बहुत ढूँढा लेकिन कहीं नहीं मिला।

श्री आबिद अली : पिछली सदी की बात में कर रहा हूँ, वह उर्दू में है लेकिन उर्दू को हिन्दी कहा है।

श्री निरंजन वर्मा : उर्दू को भी हिन्दी कहते थे।

श्री आबिद अली : वही कह रहा हूँ कि उसको हिन्दी कहते थे। उर्दू, हिन्दी, हिन्दुस्तानी में फर्क क्या है। सिर्फ इतना कि "आप तशरीफ लाइये" उर्दू हो जायेगा, "पधारिये" हिन्दी हो जायेगा, "आइये" हिन्दुस्तानी हो जायेगा और वही ज़बान हिन्दुस्तान की है कि "आइये" कहिये, "बैठिये" कहिये।

श्री अर्जुन अरोड़ा (उत्तर प्रदेश) : आइये, बैठिये, खाइये ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा (बिहार) : और तशरीफ भी लाइये, इसमें क्या हर्ज है ।

श्री निरंजन वर्मा : यह हमेशा खाइये की बात करते हैं ।

श्री आबिद अली : आप जानते हैं कि वह किधर देख रहे हैं ।

श्री अर्जुन अरोड़ा : आपके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ ।

श्री आबिद अली : तो आपका भाषण बहुत अच्छा हुआ, मैं समझा भी लेकिन यह जो दुश्मनी करते हैं, उर्दू के खिलाफ यह कहते हैं कि यह तो उर्दू बाहर वालों की है, इसको मैं नहीं समझता, इसको मैं नहीं मानता । मेरे बचपन की बात है, मैं लखनऊ में, यू० पी० में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि युनिवर्सिटी की फारसी की स्कालरशिप्स सब कायस्थ ले जाते थे, मुसलमान उसके नजदीक पहुँच नहीं सकता था और कायस्थ जो घसीट लिखते थे, जो उनकी शार्ट हैंड थी, वह मुसलमान नहीं पढ़ सकते थे । यह वाक्या है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : यह हैदराबाद में भी था ।

श्री आबिद अली : तो कायस्थ इसमें इतने आगे थे । हिन्दी जो है वह असली हिन्दी जिसको हिन्दुस्तानी कहते हैं वह है । जरा मुनिये । आपको भी मालूम होगा । अंग्रेजी तो बहुत मुल्कों में है लेकिन अंग्रेजी से ज्यादा हिन्दुस्तानी बहुत ज्यादा मुल्कों में प्रचलित है, वही बोली जाती है वही भाषा है । मशरिफ में चले जाइये, मगरिव में चले जाइये, ईरान में चले जाइये, जितना चाहिये हिन्दुस्तानी में बोलिये इसी तरह ईराक में चले जाइये ।

श्री निरंजन वर्मा : लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि ईरान के पूर्व भाग के जो बलोची आते हैं वह मिश्रित भाषा बोलते हैं ।

श्री आबिद अली : ईराक को ले लीजिये । कहीं भी जाइये, सब जगह हिन्दुस्तानी में बोलिये कर्बला जाइये, काज्मैन जाइये, मदीना जाइये, कोई और भाषा जानने की जरूरत नहीं, मक्का में जाइये, हिन्दी जानने वाले काफी हैं, जद्दा में जाइये, इसी तरह से सिगापुर, मलेशिया, ट्रिनीदाद, सब जगह हिन्दुस्तानी है । तमाम हाँगकाँग में घूम आइये । पूरे जितने कैरेबियन आइलैंड्स हैं जहाँ भी चाहे जाइये । फ्रीजी में जाइये । अफ्रीका के कितने ही मुल्कों में आप जाइये, हिन्दुस्तानी, हिन्दुस्तानी, हिन्दुस्तानी है, आपका पूरा काम उससे चल जाता है । तो यह जो खयाल है कि उर्दू से दुश्मनी है यह ठीक नहीं । आपने उससे इंकार किया है और मुझे उम्मीद है कि आपके सब साथी भी उसे मान लेंगे ।

श्री निरंजन वर्मा : मैं श्री आबिद अली साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह हमको गलत समझ गये हैं, हमने, जनसंघ ने कभी उर्दू की खिलाफत नहीं की । लिपि का ही उसमें केवल है । मैं उनको सच बात बता दूँ । धर्म के नाम पर देश के दो टुकड़े हुये और जो यह कहते हैं कि धर्म के नाम पर नहीं हुआ तो वह तर्क में कुछ भी कहे हम चुप हो कर बैठ जाते हैं । तो सारी कठिनाई उसमें यह लिपि की है और यह सवाल दुर्भाग्य से उर्दू के साथ जुड़ा हुआ है । मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन यही कल्पना सब लोगों की है ।

श्री आबिद अली : जो आप फर्मा रहे हैं अगर ऐसा ही होता तो आपकी भी मिनिस्ट्री आई थी उस वक्त मान लेते, यहाँ तक कि गोविन्द बल्लभ पन्त जी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उर्दू को मान लेंगे । आपकी दिल्ली में हुकूमत है लेकिन नहीं मान सकते । मान लीजिये उसको ।

श्री शोलभद्र याज्जी : दिल्ली में तो है वह ।

श्री आबिद अली : कहाँ है, वह भी ढोंग है । आपने वायदा किया था, आपकी पार्टी ने वायदा किया था जब कि बिहार के एलेक्शंस

[श्री आबिद अली]

हो रहे थे, लेकिन जब गवर्नमेंट में आये और रांची में जब यह सवाल आया तो आपने कितने लोगों को कत्ल कराया, जनसंघ ने जो किया वह जानते हैं ।

श्री निरंजन वर्मा : यह गलत बात है ।

श्री आबिद अली : अच्छा, गलत बात सही, लेकिन मैं नहीं मानता । यह तो उर्दू की बात है । फारसी को लीजिये । अभी थोड़े साल पहले मैं खालियर में ही था, सक्सेना साहब के यहाँ लगुन आई थी इलाहाबाद से, वह फारसी जबान में आई शादी के मौके पर । जब हमने उनसे कहा भाई सक्सेना, आप इलाहाबाद से खालियर फारसी में लगुन ला रहे हैं, अब छोड़ो इसको । उन्होंने कहा: भाई आबिद अली, जब तक मैं जिंदा हूँ . . .

श्री निरंजन वर्मा : हमारे यहाँ खुद लिखा जाता था : “खुदाबंद करीम से नेक चाहता हूँ ।”

श्री आबिद अली : जी हाँ, उसी तरह लिखा जाता है । इसी तरह बम्बई में “श्री गणेश जनसंवाकी” . . . देखिये हिन्दुस्तान आपका क्या था और आज क्या कर दिया है । हमारे लोगों में चाहे खोजा हो, बोहरा हो, बिरहमन हो, किसी भी व्योपारी की किताबें जब मुबह को हर रोज निकालते हैं तो उसमें लिखते हैं . . .

श्री निरंजन वर्मा : अब आप अंग्रेजी के बारे में कहिये, इसमें तो कोई अंतर नहीं है । हम और आप एक हैं । उसमें एक मत है ।

श्री आबिद अली : मेहरवानी करके अपनी पार्टी को भी मना लीजिये मैं आपका अन्तःकरण से धन्यवाद मानूंगा ।

तो मेरी अर्ज थी कि बम्बई में हर रोज मुबह को जब बहीखाता शुरू होता है तो श्री गणेश जनसंवाकी लिखा जाता है । पहले मैं कह रहा था । खालियर में भी फारसी में आज तक लगुन आती है । वह कहते हैं जब तक मैं हूँ मैं इसको छोड़ने वाला नहीं । तो हिन्दुस्तान में यह एक हर तरफ से आवाज थी, एक

ही तरीका था । आपके यू० पी० में भी चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, जब दशहरा होता था, तो जो गाँव का बड़ा होता तो वह “श्री गणेशाय..” लिखा करता चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो और मोहर्रम के दिन भी मजलिस पहले सक्सेना साहब पढ़ेंगे और अगर मुसलमान है तब भी । जो बुजुर्ग होगा उनमें, गाँव के अंदर, कारवाने करवला वह शुरू करेगा, दशहरा के दिन पूजा भी वही करेगा ।

श्री निरंजन वर्मा : देखिये हमको याद है, लेकिन श्रीमन्, इनको याद नहीं होगा . . .

श्री आबिद अली : मैं आपको बताऊंगा : कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्माए प्रणतक क्लेष नाशाए गोविन्दाय नमो नमः—यह जो हमारे यहाँ होता है क्योंकि अपने इलाके की बात मैं जानता हूँ, हम बम्बई के हैं यू० पी० के नहीं, हमारे यहाँ जन्माष्टमी में जब पूजा होती है उस वक्त कहते हैं : कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्माए प्रणतक क्लेश नाशाए गोविन्दाय नमो नमः । ठीक है, बतलाइये क्या कहते हैं । “गोविन्दाय नमो नमः” । मंजूर है आपको । यह था हमारा हिन्दुस्तान, यह थी हमारी संस्कृति लेकिन पिछले 800—900 साल में जो हुई, मिली जुली संस्कृति, उसका आप नाश करना चाहते थे । मुसीबत यह थी । दोनों को अगर आप बरकरार रखते “कारवां सालार बिन जब कारवाने करवला” और “गोविन्द गोविन्दायः नमो नमः” लेकिन अभी तो आप यह चाहते हैं वह मिटा डालें ।

श्री निरंजन वर्मा : आबिद अली भाई, इसमें यह अंतर है कि आप मिली जुली संस्कृति को मानते हैं, हम लोग मिली जुली संस्कृति को नहीं मानते । संस्कृतियों में आपस में संघर्ष होता है, लड़ाई होती है जैसे रोमन लोगों ने ग्रीस के यूनान के लोगों को हरा दिया लेकिन जो यूनान के लोग थे वह रोम की संस्कृति पर छा गये, हारने के बावजूद, तो इसी तरह से अरब की संस्कृति ईरान में तो आई और छा गई लेकिन ईरान की संस्कृति अरब में नहीं छा सकी ।

श्री आबिद अली : तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आप पिछले आठ नौ सौ साल की जो मिली जुली संस्कृति थी उसको रद्द करना चाहें तो फिर जो संघर्ष है उसको आप रोक नहीं सकेंगे और आपकी ताकत के बाहर वह चीज है कि आप उसको मिटा सकें और इधर जो मिली जुली संस्कृति है वह लोगों के दिल में घुस गई है। लखनऊ में हर हिन्दू और मुसलमान व्यापारी सुबह को जब तक आसफ-उद्दौला का नाम न ले और आसफुद्दौला के पैसे को अपने तराजू में न लगा ले, काम शुरू नहीं करता उसके उस पैसे की माफ़त बरकत मांगते हैं।

श्री निरंजन वर्मा : जिसको न दे मौला . . .

श्री आबिद अली : . . . उसको दे आसफ-उद्दौला। वह चीज लखनऊ का हर छोटा या बड़ा दुकानदार जब वह दुकान खोलता था, करता था और वह आपके साहस के बाहर है कि आप उसको रोक सकते क्योंकि हमारे बम्बई के इलाके में जो दुलहन आती है तो हमारे यहाँ पहले नारियल तोड़ा जाता है और जब मुल्लाओं ने बड़ी कोशिश की लोगों ने कहा हम आपकी सब बात मान लेंगे लेकिन यह बात हम नहीं मानते हैं। तो हमारे इलाके के लोगों ने बम्बई के मुल्ला की यह बात नहीं मानी और वह नारियल तोड़ना शुभ मानते हैं। इसको तमाम व्यापारी मानते हैं, उनके पूर्वज मानते आए। तो मेरी अर्ज यह है कि हिन्दी वालों ने जो एक तरह से उर्दू से दुश्मनी की और दूसरी तरफ हिन्दी को जोर से लोगों पर लादने की कोशिश की उससे नुकसान हुआ। मैं हिन्दी को मानता हूँ, आज की हिन्दी आप समझ नहीं सकते क्योंकि कई ऐसे शब्द हैं जो मुश्किल हैं। एक दफा जब हमारे पिछले राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू ने यहाँ पर मोतीलाल जी की तस्वीर खोलते हुए भाषण किया था, तो उसको मैंने पूरा समझा और मैंने उनको बधाई दी लेकिन जो उनका लिखित भाषण आया करता था, जो दफ्तर वाले तैयार करते थे वह बहुत कठिन भाषा में होता था और यहाँ नाम नहीं बताऊंगा,

एक बहुत बड़े हिन्दी के पंडित हैं उनसे मैंने पूछा कि भाई इन शब्दों का मतलब तो बताओ। उन्होंने कहा यह नहीं मालूम मगर कौन सी ऐसी ज़बान है जिसको समझने के लिये डिक्शनरी की जरूरत नहीं होती। यह उनका जवाब आ गया।

श्री निरंजन वर्मा : लेकिन मैं इस पर निवेदन करूँ कि मुसलमान भाईयों को तो जो संस्कृतनिष्ठ हिन्दी होती है उसको समझने में कठिनाई आ सकती है लेकिन बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलगू, कन्नड भाषी व्यक्तियों को वह जल्दी समझ में आ जाती है।

श्री आबिद अली : यह बहुत गलत है। मुसलिम भाईयों की मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वह ज़बान जो सदर बाजार में चालू है, वह ज़बान जो कानपुर के ग्वालाटोली में चालू है या जो ज़बान चांदनी चौक में चालू है वही ज़बान अपनाई होती तो हिन्दी इतनी तेजी से आगे बढ़ती होती कि आप भी खुश होते। आप एक नयी ज़बान को सिखाना चाहते हैं जो रुकावट है हिन्दी की तरक्की के लिये।

श्री निरंजन वर्मा : अच्छा मद्रास से आप चलें।

श्री आबिद अली : मद्रास के लिये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वहाँ के लोग दस्तखत हिन्दी में मांगते थे हालाँकि तमिल में मैं दस्तखत कर सकता हूँ, कन्नड में कर सकता हूँ। करता भी हूँ जब वह कहते हैं। लेकिन हिन्दी में तमिल के लोग दस्तखत मांगते थे तमिल में नहीं मांगते थे। तो आपकी जो दुश्मनी है . . .

SHRI NIRANJAN VARMA : You are master of none.

श्री आबिद अली : भाई आप वकील साहब हैं। आपके पिता जी को अल्लाह ने ज्यादा बरकत दी, आपको ज्यादा पढ़ा लिखा दिया। मेरे बाप तो जब मैं तीन बरस का था तभी मर गये। मैंने तो मिल में झाड़ू देना सीखा है। तो झाड़ू देना मैं जानता हूँ जो आप नहीं

[श्री आबिद अली]

जानते। वह काम जो मैंने किया वह आप नहीं कर सकते हैं। हर एक आदमी अपने अपने तरीके से चल रहा है।

तो मैं, यह कह रहा था कि मेहरबानी करके थोड़ी बृत्ति अपनी बदलिये। हिन्दी से मोह-बूत कीजिए और वह हिन्दी जो कि लोग पसन्द करते हैं। कई मतवा उर्दू के दो कवियों में झगड़े हुए हैं, गालिब के जमाने के भी। उन्होंने कहा यह होना चाहिये, दूसरे ने कहा कुछ और फिर हाथ पकड़ा और कहा : चाँदनी चौक चलो, वहाँ के लोग जिसको सही समझेंगे वह ठीक।

“दिल का उजड़ना आसां है जालिम
दिल की बस्ती खेल नहीं है
बसते बसते बसती है।”

अब वह बस्ती है या बस्ता है। तो चाँदनी चौक के लोग कहते हैं बस्ती है या बस्ता है। तो वह जो कहेंगे वह सही। तो फर्मान क्या निकला कि साधारण जनता जो भाषा को समझती है और बोलती है वही ठीक है क्योंकि स्पेलिंग अगर मैं एफ ओ० टी० ओ० यहाँ फोटो के लिये लिखू तो गलत होगा। पी० एच० ओ० टी० ओ० लिखूंगा तो सही होगा। लेकिन कई मुक्त ऐसे हैं जहाँ एफ ओ टी ओ लिखना सही माना जायेगा। तो कहीं कोई चीज गलत कहाँ सही। जो यहाँ गलत समझते हैं कल वह दूसरी जगह सही होता है। तो इस तरह जनता की भाषा जो प्रचलित है, जो उसको प्रिय है, जिसकी उसको आदत है, उसको चलने दीजिए। तब हिन्दी बड़े जोर से तरक्की करेगी।

आखिरी चीज है कि हिन्दी वालों को एक तो त्याग करना पड़ेगा। थोड़ा तो त्याग करना ही पड़ेगा। मैं यह मानता हूँ हिन्दी भाषा हो, सादी हिन्दी भाषा हो, साहित्यिक हिन्दी भाषा नहीं। साधारण बोलचाल की, लिखने पढ़ने की, अखबारों की जो भाषा होती है वह ऐसी भाषा हो जो लोग समझ सकें। बाकी क्या करना पड़ेगा हिन्दी भाषा के सिलसिले में? लिपि एक साऊथ की आपको लेनी पड़ेगी,

अगर आप बहुत हिन्दी से मोहबूत रखते हैं। सब जवाने जितनी कास्टीट्यूशन में लिखी हुई है सब नेशनल लैंग्वेज है, हिन्दुस्तान की है। तमिल, बंगला, पंजाबी। सभी भाषाएं ठीक हैं। ये सब हिन्दुस्तान की भाषाएं हैं लेकिन एक भाषा रखिये जो तमाम हिन्दुस्तान के लिये हो और वह सिवाय हिन्दुस्तानी के और कोई दूसरी भाषा हो ही नहीं सकती। लिपि आप तेलगू ले लीजिये, तमिल ले लीजिये मैं तेलगू इस लिये कहता हूँ कि उधर देखिये आप कन्नड़ का इलाका, मैसूर का इलाका और यह ले लीजिये हैदराबाद का पूरा इलाका जिस में सब तेलंगाना आ जाता है, इन दोनों को अगर मिलाइये तो सब से बड़ा इलाका तेलगू जानने वालों का, तेलगू लिपि जानने वालों का हो जाता है।

श्री निरंजन वर्मा : तमिल के लिये क्या कहते हैं।

श्री आबिद अली : कोई भी आप ले लीजिये। हिन्दुस्तान की एक लिपि कर दीजिये। उसी लिपि में तमिल भी लिखी जाय, उसी लिपि में हिन्दी भी लिखी जाय, उसी लिपि में पंजाबी भी लिखी जाय और उसी लिपि में और भाषाएं भी लिखी जायें। जैसे गुजरात वालों ने हिन्दी लिपि को मान लिया है...

श्री निरंजन वर्मा : मैं यह निवेदन कर दूँ कि उसमें कुछ संकट हैं। अंग्रेजी की लिपि में यह संकट है कि उसमें “त” और “द” अक्षर नहीं हैं। इसी तरह से जितनी द्रविड़ भाषाएं हैं उनमें “क, ख, ग, घ” अक्षर नहीं हैं। यह कठिनाई उसमें आती है।

श्री आबिद अली : कोई कठिनाई नहीं है। “मुश्किले नीस्त कि आसां न शबद” कौन सी ऐसी मुश्किल है जो आसान नहीं हो सकती है। टर्की के अन्दर जो पुरानी लिपि थी वह हटा कर रोमन लिपि आ गई और उसमें उन्होंने अपनी जरूरत को पूरा कर लिया है।

श्री निरंजन वर्मा : लेकिन ‘निशानों’ का क्या हुआ।

श्री आबिद अली : “जी” वहाँ पर “जी” है, “जी” वहाँ पर “ग” नहीं होता ।

श्री निरंजन वर्मा : उन्होंने उसमें निशान कितने लगा दिये ।

श्री आबिद अली : वहाँ “जी” जो है वह “जी” हो गई और “जे” जो है उसको उन्होंने “ग” बना दिया । अंग्रेजी में दोनों चलते हैं । “जी” कभी “ग” हो जाता है और कभी “जी” रह जाता है । उसको उन्होंने दो कर दिया है । इसी तरह से उन्होंने “सी” और “के” के लिये भी किया है । उनके यहाँ “सी” की जगह “सी” है और “के” की जगह “के” है । वहाँ सी ए टी कट नहीं होता है, वहाँ सी ए टी सैट ही होता है । वहाँ अगर कैंट लिखना हो तो के ए टी लिखते हैं । अगर वे रोमन लिपि को अपना कर के पूरी अपनी जवान को सही लिख सकें, तो हम भी वैसा ही कर सकते हैं । जैसे टर्की भाषा वहाँ पहले बोली जाती थी वैसे ही आज भी भाषा बोली और लिखी जाती है और सही होती है । तो हम भी वैसा ही कर सकते हैं । उसमें थोड़ा बिन्दा तो इधर उधर लगाना ही पड़ता है और उसमें कोई बात नहीं है । अब जैसे तमिल में “म” नहीं है, इसलिये अगर वे हमारे बाप का नाम लिखते हैं तो जाफर बाई लिखते हैं । ‘म’ उन के यहाँ नहीं है तो क्या करें । जाफर भाई नहीं लिख सकते हैं तो जाफर बाई लिख देते हैं । लेकिन अगर उनको मुधारना हो तो उसके नीचे बिन्दी लगा सकते हैं, जैसे पहले हिन्दी में होता था कि “ख” के नीचे बिन्दा लगा कर के “ख” हो जाता था । “ज” के नीचे बिन्दा लगा कर के “ज” हो जाता था । अब जवान आप बोलते हैं । जवान आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि उर्दू से दुश्मनी हो गई है । वह जवान ही रहा और जवान नहीं हो सका ।

आखिर में मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि मेहरबानी कर के तेलगू को या कोई दूसरी लिपि को आप हिन्दुस्तान की लिपि मान लीजिये । जो सर्वसम्मति से मानी जाय उसी को हिन्दुस्तान की लिपि मान लीजिये । इसके साथ

साथ हिन्दी को सादी बनाने की कोशिश कीजिये और छोड़िये लोगों पर, व उस जवान को अपनाते जायेंगे । लेकिन ज़रा भी कोई ऐसी बात न हो जिससे उनको इस बात का खयाल हो कि यह हम पर कुछ लादना चाहते हैं । जवान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है । मुल्क बड़ा होता है । मुल्क की एकता, मुल्क की ऊंचाई, मुल्क की शान, मुल्क की ज़रूरत, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, जवानें तो आती हैं और जानी रहती हैं ।

SHRI A. P. CHATTERJEE: Mr. Vice-Chairman, it was good to hear the nostalgic speech of Mr. Niranjana Varma as well as that of Mr. Abid Ali I say nostalgic because they seem to have expressed some kind of sentimental appreciation of one-time unity of the two languages, Hindustani and Hindi. But, Mr. Vice-Chairman, the question raised at the present moment is quite different. It is not a question of Hindi vs. Urdu or a question of Hindi vs. Hindustani. The whole question is a question of whether the different languages spoken in the different States of India should be the medium of communication as far as parliamentary proceedings are concerned. A voice has been raised on the floor of the House that if that were done, then that would cut at the root of the unity of India and it has been stated that, therefore, it were better that either Hindi or English be that medium as at present. Frankly speaking, Mr. Vice-Chairman, this kind of argument is not quite appreciated or understood. Who does not know the history of the rise of the Indian languages? It is true that the Indian languages have their roots in hoary antiquity. I do not agree with Mr. Niranjana Varma that Sanskrit was the earliest of languages of India. The word "Sanskrit" itself shows that it means "refined". As soon as you say that a language is refined, then immediately the question arises : from what it was refined. Naturally, Sanskrit was never the earliest language of India. According to the philologists, Sanskrit was a much later creation. It was based on Prakrit. Prakrit was the ancient language of India. Prakrit had different varieties. From those different varieties of Prakrit a *lingua franca* was thought of by Buddhha when he wrote his shastras, when he gave his

IShri A. P. Chatterjee]

religious disquisitions and religious documents. Pali was a kind of *lingua franca* made from these varieties of Prakrit by the Buddhists. Therefore, the different varieties of Prakrit which were spoken throughout India in different States are the ancestors of the present Indian languages in the different parts of India.

Therefore, what I say is this that as far as the different State languages are concerned, they have their roots in hoary antiquity. Who does not know that as far as the language of my State is concerned the most ancient traces of it were discovered, about two thousand years old manuscripts in early Bengali were discovered, by the late Hara Prasad Shastri from the archives of Nepal? That must be the history also of other languages of India. These languages have their roots in hoary antiquity. Therefore, Sanskrit came much later. What I am going to say is this that though these languages were spoken in different parts of India and these languages have their roots in hoary antiquity, it is true and it cannot be denied that the efflorescence or the flowering of these languages in different parts of India took place really when the British were here. That is not a credit which I give to the British. I say this because during the British period there was a necessity for one Indian to speak to another Indian because he tried to cry against the oppression that the British were carrying on amongst the Indians. Therefore, in the days of nationalism when it was necessary for one Indian to speak to another Indian in order to organise the revolt, organise the movement of the Indians in different parts of India against the British rule, there was the necessity of communication being perfected between one Indian and another. At that time the different languages in the different States flowered, blossomed forth because in those States it was necessary for one Bengali to speak to another Bengali in the name of revolt against the British, it was necessary for one Maharashtrian to speak to another Maharashtrian in the language of nationalism in order to organise a revolt against the British. Those were the days of flowering of the different languages. So what I say is this that the different State languages flowered, blossomed forth because of the call and pull of nationalism. It will not do to say that if we speak in different lan-

guages then that will again cut at the root of nationalism. How can speaking in different languages be destructive of nationalism when nationalism itself brought forth the flowering of the languages? How can the son go against the father? How can languages go against nationalism when nationalism itself brought these languages forth? It is a matter of history that the different languages blossomed the different languages prospered during the British period because it was necessary to organise the different people speaking different languages against the British and the speech of the people in different parts took different shapes. It is not correct—it will not be correct—to say that whenever a literature was written, there was a cry for revolt or rather that the literature in Bengali, for example, in the 19th century was a literature crying for revolt against the British. But the revolt has many meanings and many facets. There was the question of a political revolt against the British, there was the question of an armed revolt against the British, there was the question of a cultural revolt against the British. And if you look to the 19th century Bengali literature, you will find that there was not only the message of political revolt against the British, not only the message of military revolt against the British but there is the message of a cultural revolt against the British also. And in those memorable works of literature we find that there has been a hark-back to our ancient tradition and heritage. There is a projection to the future. And in those works of literature written by those great sons of Bengal in the 19th and 20th centuries, we find that Bengali men of literature have spoken about their many problems, varieties of problems; they have spoken of their cultural problems, they have spoken of their pre-eminence in the cultural fields. They have spoken in such a fashion that we should be freed from the shackles of the British cultural bondage which was forged and framed in the days of Macaulay. Therefore, these languages which have flowered forth in the different States of India, that is an expression of nationalism itself. But now we find the clock is being taken back and some people are beginning to say that if a Bengalee wants to speak in Bengali here, then that will be something against nationalism. But that was not

so in the 19th century, that was not so before 1947 when we won our freedom. Then if a Bengalee spoke in Bengali, it was for the cause of nationalism, it was to drive the British out of India. You know how Bande Matram, that song composed by Ban-kim Chandra, one of the founders of Bengali literature, took entire India by storm. That is the language. That was the kind of language which was spoken in different part of India. Therefore, it would be a travesty of truth and it would be, I should say, obscurantism of the highest degree to say that if we speak different languages here on the floor of the House, that will cut at the root of Indian nationalism. It cannot be so. It is silly, stupid to say so.

It has been said . . .

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: More than that. More than stupid.

SHRI A. P. CHATTERJEE: More than stupid.

It has been said: What will happen if 14 languages are spoken here. I do not understand this. After all, are we sti'ii in those feudal ages when people did not know how to surmount such minor difficulties as this? After all, we can have 14 translations of the 14 languages if they are spoken here. My hon. friend, Mr. Parthasarathy, has said that they do not have 14 windows, 14 places to be made into niches in the Parliament's wall. Well, If Mr. Partha-ihy had not said that on the floor of the House solemnly, I could have taken him to be a child. I have never heard such an argument as that, that the question of language would be blocked by a mere wall of Parliament House.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA : Lack of windows.

SHRI A. P. CHATTERJEE: Or the lack of windows in Parliament House or the lack of alcoves in Parliament House. Well, I have never heard such an argument. Alcoves can be dug out of Parliament's wall. Niches can be made in it, and walls may be extended. But language must have its way. Well, as Hamlet said to the players, if the lady cannot speak in the blank verse, the blank verse must halt.

AN HON. MEMBER: To be or not to be.

SHRI A. P. CHATTERJEE: Well,, the language must go ahead and if there is any obstruction, if there is any wall obstructing the way, that wall must be broken down. Absolutely we are against these walls. These walls are ignorance, they are superstitions that are being built round us and if there is the question of a Parliamentary wall being set up to obstruct languages being spoken, I will say that that Parliamentary wall must be broken down.

SHRI R. T. PARTHASARATHY : If the wall must be broken down. . ,

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA : How can he do that?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Mr. Chatterjee gave him permission.

SHRI R. T. PARTHASARATHY : I am speaking with the Vice-Chairman's permission.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA : The Member must go back to his seat.

SHRI R. T. PARTHASARATHY: Well, if the wall is broken, then it will be only a wall of pandemonium.

SHRI A. P. CHATTERJEE: I think that that is a great insult to the great languages of India to say that if we speak different languages that will be a pandemonium. I remember also that Mr. Parthasarathy has said that if we speak 14 languages, it will be a babel of languages. I know what babel means in the Bible. Babel means confusion. Utter stupidity. If Mr. Parthasarathy has used that word to denote the different languages that we speak in Parliament, I can only pity him. But I can say to him that Indian languages cannot and should not be allowed to be insulted by small minds. I do not say that Mr. Parthasarathy has a small mind. But if I speak in Bengali and if my friend speaks in Tamil, and he says like that, then I will say that he does not know what is meant by pandemonium. He used the expressions without knowing their meaning. Therefore, I would leave aside what Mr. Parthasarathy said. Well, why should we stop languages? They must forge ahead whatever small minds say. We must go ahead. But

[Shri A. P. Chatterjee]

after all, Parliament is a place where we can exchange our opinions, we can exchange our views. Can we exchange our views or opinions properly if we cannot speak in our mother-tongues? I remember a particular simile once given by Rabindranath Tagore in one of his essays. He says that if we speak in a foreign language to express our own meaning, what is the feeling? It will be like using fork and spoon to satisfy hunger of an unsophisticated Indian. I am not talking of the IAS or ICS officers who might have gone to England or Europe. I am speaking of the ordinary toiler of India, the ordinary peasant in the fields. If, for example, a peasant of Bengal or for that matter of any part of India is asked to satisfy his hunger with a fork and spoon, he cannot satisfy his hunger. Therefore, we cannot express our meaning, we cannot express our opinions properly if we are not allowed to speak in our mother-tongues. Parliament is a place where we have to speak out our opinions, where there has to be a consensus of the feelings and sentiments, where we have to find out solutions to different problems facing India. And in that House, therefore, it is all the more necessary that we be allowed and permitted to speak in our different tongues. And if the Government can spend so much, waste so much on so many wasteful things, on so many unnecessary things, the Government can also spend this much for providing interpreters to interpret the 14 languages in which the debates must be held and ought to be held.

Therefore, I am firmly of the opinion that this Bill is a timely Bill, a timely measure and I congratulate Mr. Sen Gupta for bringing forward this Bill to pinpoint this great need of the country at the present moment. Perhaps 500 years hence or 50 years hence people would laugh at us that I had to express on the floor of the House this need of a man to speak in his own mother-tongue. But still we have to express that need. Just as there is need of water for quenching thirst by water, just as we have to satisfy the need of food by taking food, we have the need also to express our own meaning in our own mother-tongue and that need has been pinpointed in this Bill and I welcome it

SHRI G. RAMACHANDRAN (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am glad I am speaking after my brilliant friend, Mr. Chatterjee. I understand he is a very able Barrister. . .

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: Advocate,

SHRI G. RAMACHANDRAN : . . . and if I have a losing case I am willing to come to him and give him a vain chance of making it a winning case.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: You will go to Mr. Partha-sarathy because he is also a lawyer.

SHRI G. RAMACHANDRAN : Mr. Panhasarathy at that point is no match to Mr. Chatterjee.

Mr. Vice-Chairman, we have heard very learned speeches today. This language question is one of those perennial questions upon which all of us can wax eloquent on the history of languages, how a language develops, the beauty of languages and so on. The issue today is not whether Hindi and Urdu can go together and what are the differences between them. That is not the issue. The issue is not one between even English and Hindi so that the advocates of Hindi can quarrel with the advocates of English and *vice versa*. That also is not the issue. The issue is that as matters stand today, inside Parliament two languages can be spoken, English and Hindi, by those who know these languages. And there is also provision, if a Member does not know either of these languages he or she can speak in his or her own language. This is the existing situation. We must understand the situation, not against some fancied background but against the background of the realities in India today, how passions have been roused on the question of language and how we had to face the question of finding a solution for what appears to be an insoluble problem. At the moment the solution stands at this level.

My friend has brought this Bill in which he seeks that all the 14 languages must come into Parliament, that we should be free, not because we do not know the other two languages, but inherently in our own right to speak our own languages and simultaneous translations will be brought into the picture.

My friend, Mr. Parthasarathy, used the word 'pandemonium' which enraged my friend, Mr. Chatterjee, who challenged his understanding of the word "pandemonium". Now, what is "pandemonium"? Pandemonium is what happens in a little place where many people are crowded together, talking in different languages which nobody understands, raising a lot of noise, with each one looking at the other in a confused manner. This is pandemonium.

SHRI A. P. CHATTERJEE: Only one minute. "Pandemonium" is an expression that was coined by Milton in order to express a conference of fallen angels of which Satan was the head. That is the only place where you get pandemonium.

SHRI G. RAMACHANDRAN: I have not seen an angel and I never hope to see one. So the question of bringing angels into the picture does not confuse me.

I am asking this question, Sir, whether it would be wise to touch a solution which for a time holds the field now. If somebody can assure us that the new solution that all the languages can come in and be translated will solve, not only the problem inside the House but in the whole country, then we should certainly look into the solution suggested.

Now, there is also no question of undervaluing any language. In the Bengal Legislature Bengali will reign supreme, in the Tamil Nadu Legislature Tamil will reign supreme and in the Telugu Legislature Telugu will reign supreme. So all over India in no State Legislature will any language be more supreme than the language of the area. So it is not as though somebody has shut out the possibility of any language finding its level and finding its ways of growth. But then why do the Bengalis come here? Why do Telugus come here? Why do the Punjabis come here? We might, as well say we shall remain just where we are and conduct a kind of national government through correspondence. But we come here and when we come here I am very, very keen to understand what Mr. Chatterjee says. If Mr. Chatterjee had spoken in Bengali today, I would not have understood a single word of what he was saying

though I love the Bengali language. I turn systematically to the Calcutta station to hear Bengali music. My son-in-law is a Bengali though I come from South India. I have love for Bengali. But if he spoke in Bengali today I would not follow.

Sir, all these translations tend to become a travesty of what is being said originally. I listen to the translations here. I do not quarrel with anybody who makes this arrangement. But when somebody speaks in Hindi and I get its English translation I am horrified by what I hear. I once went and complained to Dr. Zakir Hussain when he was our Chairman, "Why this torture to people listening to the Hindi speech in this manner by bad English translation?" I tell you it will not be pandemonium but something much worse than pandemonium, it will be torture.

We come together. And if somebody insists, if Mr. Chatterjee insists—and I am sure he will not—that he wants to speak in such a language that nobody understands what he is saying, then let us please him. But the object of coming together from different areas, thousands of miles away from different places and sitting together is to arrive at a formula under which the maximum understanding of each other can take place, not the minimum. If the idea is to get the minimum of understanding I shall vote for my friend's Bill. But if my idea is for maximum understanding while we are sitting together, I say do not touch the present formula. I am not suggesting that the present formula is the best in the world. May be twenty years or thirty years after we may look at this formula and laugh at it. But today, against the background of the passions that are being created, fissiparous tendencies that are demonstrating themselves every hour of the day, realising as Mr.

does even more than me that there is danger to the unity of India, then we must all sit up and ask whether we can tamper with the existing formula so long as we do not have a better formula. This formula is not in my opinion a better formula because it really gives us nothing more than what we have today. So far as languages are concerned, no language is in danger in this country. Today the danger seems to be the other way,

[Shri G. Ramachandran]

every language becoming a kind of language for itself, cutting itself away from other languages. This is not good for India, this is not good for the world altogether. We have a formula and it is a formula which has been defended again and again. Let us have English, let us have Hindi, and for those who do not know either of these languages their own language. This is the largest latitude democratically-speaking to the Members of Parliament. Let us keep it intact. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): One minute

more. Shall I call somebody or shall we adjourn?

SOME HON'BLE MEMBERS: Adjourn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday.

The House then adjourned at fifty-nine minutes past four of the clock till eleven of the clock on Monday, the 25th August, 1969.